साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 12 20 - 26 मार्च 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

दीर्घकालिक विकास की चुनौतियाँ पृष्ठ-6

सामाजिक गठन और वृद्धावस्था की चुनौतियाँ पृष्ठ-7

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के

चुनावी परिणाम

क्या कांग्रेस दीवार पर लिखी इबारत पढ़ेगी?

पांच राज्यों में पंजाब के अतिरिक्त हर राज्य में भाजपा अपना झंडा लहराने में सफल रही है, जबकि पंजाब में 'आप' ने सफलता प्राप्त करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस दीवार पर लिखी इबारत पढ़ेगी।

05 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आशा के अनुरूप ही आए है। जिसमें एक राज्य पंजाब को छोड़ अन्य 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विजय प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पोजीशन जैसा की उम्मीद की जा रही थी बेहतर हुई है, जबकि बसपा, कांगेस चुनावी मैदान में कहीं नहीं दिख रही हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने और कांगेस की आपसी गुटबंदी का लाभ उठाते हुए भाजपा ने एक बार फिर वहां बाज़ी मार ली और दूसरी पारी की रिवायत तोड़ते हुए सफलता प्राप्त की। कभी कांग्रेस का गढ़ समझे जाने वाले उत्तर पूर्व का यह राज्य अब हिन्दू की अफीम के नशे में मस्त हो चुका है।

जहां तक पंजाब का मामला है यहां पिछले पांच सालों से कांग्रेस की सरकार थी और पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह के कप्तानी में दो तिहाई बहुमत प्रापत करके भाजपा अकाली दल गठजोड़ से सत्ता छीन ली थी। मगर इस विधान सभा चुनाव में बिल्कुल नई पार्टी 'आप' से हार गई और 'आम आदमी पार्टी' तीन चौथाई बहुमत प्राप्त करके पंजाब में सत्ता बनाने में सफल हो गयी।

दरअसल यह कांग्रेस और उसके नेतृत्व के लिए एक सीख है उसे मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस इस समय एक बुझता हुआ चिराग़ है और हालांकि देश के कोने-कोने में उसका नाम परिचित है, उसके अधिवेशनों, रोड शो, और मीटिंगों में भीड़ भी जमा हो जाती है, मगर उसके पास न वह आकर्षित करने वाले लोग है, और न ही वह प्लानिंग जो भीड़ को वोटों में तब्दील कर सके। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का आकर्षक नारा देकर युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया था, यूवा वर्ग पार्टी से जुड़ा भी, मगर उन्हें वोट में नहीं बदल पाया, वजह साफ ज़ाहिर है कि हर व्यक्ति समझता है कि राजनैतिक पाताल में पहुंच जाने वाली ज़िन्दा होते होते ही होगी इसलिए न उनका स्मार्ट फोन का लालच काम आया और न ही स्कूटी का लालच उसे फायदा पहुंचा सका।

पंजाब में तो पहले अमरिन्द्र सिंह और सिद्धू चार साल तक लड़ते रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, और जब सिद्धू के बहकावे में आकर कांग्रेस आलाकमान ने नेतृत्व बदलने का फैसला लिया और चरण जीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया तो फिर सिद्धू-चन्नी जंग आरंभ हो गयी जिस का परिणाम ज़ाहिर है वही आया जो आशान्वित था और देखते ही देखते 10 मार्च को कांग्रेस अपने इस अहम राज्य के शासन से बाहर हो गई।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और इस बार उसने 124 सीटों पर सफलता प्राप्त की, उसकी इस सफलता में जहां पिछड़ी जातियों में उसकी छवि के कुछ बेहतर होने का दख़ल समझा जा रहा है वहीं उसे लोकदल के साथ गठबंधन का कुछ न कुछ लाभ मिला है। जहां तक बसपा के काल्पनिक वोटबैंक दलित का प्रश्न है वह अभी भी बहुजन समाज पार्टी से कहीं अधिक आरएसएस की हिन्दूत्व की अफीम के नशे में सरशार है। 2014 के लोकसभा चुनाव से उसने भाजपा को वोट देने की नीति अपनाई थी और जिस पर चुनाव के समय बसपा सुप्रीमों मायावती ने मुहर लगा दी थी वह आज भी उसी नीति पर चल रही है, उसका पूरा वोट भाजपा का होता है।

आर.एस.एस. की स्थापना 1925 में हुई थी और हिन्दू राष्ट्र को उसने अपना मिशन बनाया था। 1947 तक चूंकि गुलामी का दौर रहा वह उस 22 सालों में हिन्दुत्व की उस सोच को जिसे वह हिन्दू राष्ट्र की बुनियाद मानता है, देश के कोने-कोने तक पहुंचाया और पूरे देश में एक ऐसा कैडर तैयार कर दिया जिसने जान पर खेलकर हिन्दुत्व को एक आंदोलन में बदल दिया बल्कि हिन्दू राष्ट्र के नारे को भी एक हिन्दू तक पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली।

संविधान बनाने के दौरान संघ के भक्तों ने खूब कोशिश की देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाए हिन्दुत्ववादी दृष्टिकोणीय संविधान हो और जब उसमें सफलता न मिल पाई तो उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था की जगह अध्यक्षीय व्यवस्था की खूब जमकर वकालत की, मगर उनकी यह आरज़ू भी पूरी न हो सकी और आख़िरकार कानूनसाज़ संसद ने देश के लिए संवैधानिक तौर पर संसदीय व्यवस्था का फैसला कर लिया लेकिन वह उस समय बहरहाल इस साज़िश में ज़रूर सफल हो गया कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं होने दिया जिसे बाद में इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में प्रस्तावना में शामिल किया और जो आज तक आरएसएस और

बाक़ी पेज 11 पर

जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले को मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बताया

स्वीकृत, संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं का सम्मान हो : मौलाना महमूद मदनी

नई दिल्ली, 15 मार्च : जमीअत-उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी साहब ने हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश और मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मौलाना मदनी ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि कोई भी समाज केवल कानूनी बारीकियों से नहीं चलता बल्कि सामाजिक और पारंपरिक रूप से इसका स्वीकार्य होना आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले के कई नकारात्मक प्रभाव होंगे, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, उसमें वह अपनी स्वतंत्रता और भरोसा खो देंगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा और सभ्यता है, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं की मान्यताओं और अवध रणा में सदियों से पर्दा और हया का बड़ा महत्त्व है इसे केवल अदालत के फैसले से मिटाया नहीं जा सकता। मौलाना मदनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि फैसला जिस धर्म के संबंध में दिया जा रहा है, उसकी स्वीकार्य मान्यताओं, उस धर्म के आधिकारिक विद्वानों और जानकारों के अनुसार होना चाहिए। अदालतों को इस संबंध में अपनी तरफ से अलग रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी ने राज्य सरकारों और देश की केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए कहा कि वह किसी क़ौम की स्वीकृत संस्कृति, परंपरा और मान्यता की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी पूरी करें और अगर अदालत से हल न हो तो लोकतंत्र में संसद और विधानसभाओं को क़ानून बनाने का पूरा अधिकार होता है इसलिए राष्ट्रहित में विधायी संस्थाओं को कार्य करना चाहिए। मौलाना मदनी ने युवाओं से सड़कों पर प्रदर्शन करने और क़ानून को अपने हाथ में लेने से परहेज़ करने और धैर्य दिखाने की अपील की है।

मालदीव्स से चीन की विदाई तय क्वाड देश करेंगे सहयोग

चीन दुनिया के सारे देशों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, जिसके लिए वह अपना जाल हर ओर फैला रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह भारत को घेरने के लिए हमारे पड़ोसी देशों को चारा फेंक रहा है, जिसे देखते हुए भारत के क्वाड संगठन के सहयोगी देशों ने तय किया है कि क्वाड के किसी भी देश के लिए अगर चीन कोई चाल चलता है तो बाकी देश आपस में सहयोग करते हुए उस देश की चीन के ख़िलाफ़ मदद करेंगे। मालदीव्स में चीन ने राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में मिलाकर अब्दुल्लाह यामीन की सरकार बना दी। बाद में वहां निवेश का व्यापारिक केन्द्र की आड़ में अपना सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में था, लेकिन मालदीव्स की जनता ने अगले चुनावों में अब्दुल्ला यामीन को बाहर का रास्ताा दिखा दिया और सोलेह को चुनकर सत्तानशीन कर दिया, जिसके चीन बाद पंख मालदीव्स में कतर दिए गए।

17 नवंबर, 2018 से मालदीव्स में इब्राहीम सोलेह सत्ता पर काबिज़ हैं, जो भारत का समर्थन करते हैं। इसके बाद से चीन भारत से खार खाए बैठा है क्योंकि उसका धन-बल भी मालदीव्स में काम न आ सका। लेकिन जैसा कि चीन का चरित्र है, उसने पर्दे के पीछे से अपनी सक्रियता नहीं छोड़ी और अपने पिट्ठू अब्दुल्लाह यामीन के हाथों मालदीव्स में भारत विरोधी अभियान शुरू करवा दिया, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत अपने पड़ोसियों को प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि असल में कौन-सा देश जमीन का भूखा है और अपने पड़ोसियों की ज़मीन जल-बल से हथिया कर वहां व्यापारिक केन्द्र क आड़ में अपने सैन्य अड्डे बना रहा है।

लाल टी-शर्ट पहनवा कर 'इंडिया आऊट' के नारे लगाते चंद लोग अब्दुल्लाह यामीन की पार्टी के आदमी हैं, जो दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत मालदीव्स में हस्तक्षेप कर रहा है जिसे बंद किया जाना ज़रूरी है। यह चीन की मक्कारी भरी चाल है, जिससे वह मालदीव्स के कंधे पर बंदूक रख कर भारत पर निशाना साध रहा है। इसका तोड़ अब क्वाड देशों ने निकाला है। क्वाड देशों में अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। चंद दिन पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें मुद्दा था चीन।

चीन चाहता है कि भारत विरोधी अभियान से मालदीव्स में लोगों के दिमाग़ में भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत बैठा कर अपने पिट्ठु अब्दुल्लाह यामीन को वहां सत्ता दिलाई जाए, ताकि चीन एक बार फिर अपने कुचक्र से भारत को घेरने की साज़िश में सफल हो सके।

दरअसल चीन मालदीव्स में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है और यह तभी संभव होगा, जब चीन का चहेता अब्दुल्लाह यामीन मालदीव्स की गद्दी पर बैठे। अगर चीन अपने इस षड्यंत्र में सफल हो जाता है तो

बाक़ी पेज 11 पर

सरहदों की बेड़ियां भूल भारत-पाक युवक यूक्रेन में कर रहे हैं मदद

रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारत सहित कई देशों के लोगों के लिए कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। इस दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी और पाकिस्तान के लोग भी सरहदों की बंदिशों को भूलकर एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान निवासी युवक मोहम्मद आज़म ख़ान ने दरियादिली दिखाई और उसकी बदौलत एक नहीं बल्कि संकट में फंसे 2500 भारतीय सुरक्षित जगहों पर पहुंचे है।। इसी तरह भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकाले गए छात्रों में पाकिस्तान की एक छात्रा आसमा शरीफ भी है जो इस नेक काम के लिए भारत सरकार के अभारी हैं।

2500 भारतीयों को बचाने के मामले में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, एसओएस इंडिया के संस्थापक नितेश कुमार यूक्रेन के इलाक़ों में फंसे भारतीय छात्रों को पश्चिमी सीमा पर ले जा रहे थे। इस काम में नितेश की मदद आज़म ख़ान ने की। नितेश जानते थे कि हंगरी, पौलेंड, स्लावाकिया या रोमानिया की सीमाओं तक पहुंचने के लिए छात्रों को कई बसों की ज़रूरत होगी। उन्होंने कई टूर ऑपरेटरों से उनकी व्यवस्था करने के लिए बात की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद आज़म ख़ान ने इस का में उसकी मदद मरने की जिम्मेदारी ली। नितेश ने कहा कि आज़म हमारी टीम के लिए एक दैवीय उपहार की तरह थे। वह बहुत मददगार हैं और उन्होंने भारतीय छात्रों से एक भी पैसा नहीं लिया। आज़म ने कहा कि इन भारतीय छात्रों के माता पिता मेरे व्हाट्सऐप पर मुझे दुआएं दे रहे हैं। आज़म से जब पूछा गया कि एक पाकिस्तानी होने के नाते भारतीय छात्रों की मदद करने में कैसा लगा। जवाब में आज़म ने कहा कि आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के बच्चे के साथ खेलती नज़र आ रही है, यह प्रेम और मानवता है। दुश्मनी सिर्फ राजनीति है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।

मेट्रो ने महिला यात्रियों के लिए शुरू की ईनामी योजना

अपनी सुविधाओं और सहूलियतों के चलते देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला दिल्ली मेट्रो रेल निगम समय-समय पर सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी ओर से लोगों को जागरुक करता रहता है। इसी कड़ी में दिल्ली मैट्रो रेल निगम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक नारा व कविता लेखन प्रतियोगिता आरंभ की। इस प्रतियोगिता में उम्दा नारा और कविता लिखने वाली युवतियों और महिलाओं को डीएमआरसी की ओर से ईनआम से नवाज़ा आएगा। यह प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और इसमें दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाली कोई भी महिला भाग ले सकती है। ईनाम में क्या जाएगा? इसका लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह आकर्षक होगा, यह ज़रूर कहा जा रहा है।

डीएमआरसी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाली युवति-महिला यात्री इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली युवतियों और महिलाओं ने 14 मार्च तक डीएमआरसी के वेबसाइट के ज़रिये 'एक सशक्त कल के लिए आज लैंगिक समानता' विषय पर नारा या कविता लिखकर पोस्ट कर रही हैं। कविता लुभावनी है और इसी तरह नारा भी लोगों को पहली नज़र में भाने वाला होना चाहिए। प्रतियोगिता के तरह अन्तिम तारीख यानि 14 मार्च तक नारा व कवितायें वेबसाइट के ज़रिये सबमिट हो चुकी हैं। उम्दा नारों और कविताओं काचयन कर डीएमआरसी चुनिंदा महिलाओं-युवतियों को पुररुकृत करेगा। आधि कारिक जानकारी के मुताबिक, डीएमआरसी 25 मार्च को विजेताओं को पुरस्कार में कुछ नक़द राशि का भुगतान कर सकती है। यह नगद राशि कितनी होगी? यह अभी नहीं बताया गया है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों की मानें तो इस नारा और कविता लेखन प्रतियोगिता में मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं और युवतियां अपने अनुभव को कविता के रूप में ढाल कर भेज सकेंगी।

यहां पर बता दें कि फिल्हाल दिल्ली मैट्रो में सबसे आगे का डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इससे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आरक्षित डिब्बे का फायदा उठाती हैं। इसके साथ ही आरक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाने की बात भी चल रही है। भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी कुछ वर्ष पहले ही डीएमआरसी प्रमुख को भेजे गए अपने पत्र में महिलाओं के लिए मेट्रो के 3 डिब्बे रिजर्व करने की मांग कर चुकी हैं। इसमें तर्क दिया गया था कि जिस मैट्रो में 8 कोच होती है, उनमें महिलाओं के लिए 3 कोच आरक्षित करने में कोई दिक्क़त नहीं है। इसी तरह जिस मेट्रो में केवल 6 कोच होते हैं उनमें 3 की जगह, केवल 2 कोच ही महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ❑❑

यमुना में दिसंबर के अंत तक गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा

दिसंबर माह के अंत तक यमुना में गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा, क्योंकि गंदा पानी बहाने वाले सभी नालों को बंद कर दिया जाएगा और इस पानी को अवजल शोधन संयंत्र(एसटीपी) की ओर मोड़ा जाएगा। एक अधि कारी ने यह जानकारी दी। यमुना 1,300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है और देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। इससे राष्ट्रीय राजधानी के आधे से अधिक हिस्से में पानी पहुंचता है। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार ने कहा कि 18 नालों से गंदा पानी यमुना में गिराया जा रहा है, इन नालों को बंद कर गंदा पानी अवजल शोध संयंत्र (एसटीपी) की ओर मोड़ने की योजना है।

श्री कुमार ने कहा कि अवजल शोधन संयंत्र तैयार है, हम नदी में गिराए जा रहे इस गंदे पानी को इन संयंत्रों की ओर मोड़ सकते हैं। इसके बाद एसटीपी से प्राप्त शोधित जल को नदी में गिराया जा सकता है, जिससे नदी का प्रवाह सुधरे। इसलिए दिसंबर माह से यमुना नदी में गंदा पानी नहीं आ पाएगा और नदी के प्रवाह में भी सुध ार होगा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, जब तक यमुना का जल नहाने लायक़ नहीं हो जाए। श्री कुमार ने कहा कि एक बार यमुना में गंदा पानी आना रुक जाए, इसके बाद दूसरा क़दम यमुना में जल के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखना होगा। यमुना का सिर्फ दो प्रतिशत या 22 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है, लेकिन यमुना में 98 प्रतिशत प्रदूषण गैर शोधित अथवा अल्पशोधित औद्योगिक अपशिष्टों या नालों के ज़रिए राष्ट्रीय राजधानी से आता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुमान के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी निकलता है।

संपादकीय
शांति मिशन

संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाने के लिए क़दम उठाना ज़रूरी है

रूस के अपने पड़ोसी यूक्रेन पर बीते 24 फरवरी से किए जा रहे है, संयुक्त राष्ट्र इस मामले में कोई अहम और प्रभावित रोल नहीं निभा पाया है। हमले ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय इकाई द्वारा अपनी सही भूमिका निभाने की आवश्यक ज़रूरत को रेखांकित किया है। आज विश्व संभावित परमाणु संघर्ष का सामना कर रहा है। कारण जो भी हो रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिम देशों द्वारा प्रतिबंधों के लगाए जाने की धमकी के बावजूद युद्ध के लिए 600 अरब डॉलर के खज़ाने की अध्यक्षता कर रहे हैं।

विडंबना यह है कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की घोषणा की, 24 फरवरी को न्यूयार्क स्थित सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता रूसी दूत वैसिली नेबेंजियास कर रहे थे। उन्होंने इसे एक विशेष सैन्य कार्रवाई बताया। जैसा कि आशा थी कि रूस ने अपने आक्रमण की आलोचना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र ने शायद ही कभी सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हों। एक स्थीाय सदस्य के तौर पर रूस को 1999 में चेचेन्या, 2008 में जार्जिया तथा 2014 में क्रीमिया में संयुक्त राष्ट्र की ओर से किसी भी तरह के प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ा। दो अन्य स्थायी सदस्यों, अमरीका तथा ब्रिटेन को भी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ा था। जब उन्होंनं 2003 में ईराक पर हमला किया था ऐसे कई अन्य उदाहरण भी है।

यूक्रेन ने रूस की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता की वैधता पर प्रश्न उठाया है। 1991 में अधिकाश सोवियत गणराज्यों ने माल्टा अटा मसौदे पर हस्ताक्षर करते हुए सहमति जताई कि रूस स्थायी सदस्य के तौर पर सोवियत संघ की सीट ले लेगा। अब यूक्रेन का कहना है कि वह सोवियत संघ था रूस नहीं जो सदस्य था तथा रिकार्ड दिखाने के लिए कह रहा है कि आज रूस कैसे सदस्य हैं। चीन भी यह प्रश्न नहीं उठाना चाहेगा। रिपब्लिक ऑफ चाइना (आर.ओ.सी.) की राष्ट्रवादी सरकार के पास शुरू में सुरक्षा परिषद की सीट थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि चीन पर नियंत्रण कर लिया तथा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी.आर.सी.) की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी.आर.सी.) की स्थापना की जबकि आर.ओ.सी. 1949 में वापस ताइवान के पास चला गया। 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने पी.आर.सी. को मान्यता दी और इसे सुरक्षा परिषद् में सीट दी।

रूस द्वारा प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 'यूनाइटिंग फॉर पीस' प्रस्ताव अपनाया जिसका इससे पहले केवल 10 बार उल्लंघन किया गया था। गत दिनों अधिकांश सदस्यों (141) ने पक्ष में मतदान किया और मांग की कि रूस तुरंत, 'पूरी तरह से तथा बिना शर्त' यूक्रेन से अपने सैन्य बलों को हटा ले।

चीन, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका उन 35 देशों में से थे जिन्होंने एब्स्टेन किया जबकि मात्र 5-ईरीट्रिया, उत्तरी कोरिया, सीरिया, बेलारूस तथा रूस ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया। पुतिन को नियंत्रिण करने में असमर्थ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटारेस ने अपने हथियार डाल दिए और एक वक्तव्य में कहा कि 'यूक्रेन में युद्ध समाप्त करें अभी- अभी बंदूकों को शांत करें -अभी। समसया यह है कि रूस को हटाने के लिए पी-5 के बीच कोई एक राय नहीं है जहां अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्य पक्ष में है, व्हाइट हाउस ऐसे किसी भी क़दम पर विचार नहीं कर रहा। जब रूस को हटाने संबंधी यूक्रेन के निवेदन के बारे में पूछा गया तो एक न्यूज़ कांफ्रेंस में प्रवक्ता जेन प्साकी ने कहा कि हमें ऐसा होता दिखाई नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हम ऐसे क़दम उठाने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं जो रूस के साथ सीधे संघर्ष में डाल दें।'

अत: ऐसी स्थिति में सदस्य देशों, विशेषकर वे जो संयुक्त राष्ट्र के विस्तार का पक्ष लेते हैं, ने सुधारों में तेज़ी लाने के लिए अपनी मांग तेज़ कर दी है। सुधार का पक्ष लेने वाले देशों में भारत, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यहां तक अमरीका शामिल है। वर्तमान यूक्रेन संकट जैसे संघर्ष इस बात को पुन: रेखांकित करते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र अब प्रासंगिक रह गया है अथवा नहीं। सुधार समर्थक लॉबी का तर्क है कि आज का संयुक्त राष्ट्र 77 वर्ष पहले के संयुक्त राष्ट्र से बहुत भिन्न है। 1945 में मात्र 51 देशों से आज संयुक्त की सदस्यता बढ़कर 193 हो गई है। उनका तर्क है कि 21वीं शताब्दी की दुनिया से तालमेल बनाने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अत्यंत आप्रसंगिक बन रही हैं अधिक प्रतिनिधिक तथा समेकित बनाने के लिए सदस्य सुरक्षा परिषद् के विस्तार की मांग कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र कई कारणों से बहुपक्षीय प्रणाली की देख-रेख करने में प्रभावी नहीं है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करने पर भी पी-5 देश किसी भी तरह के प्रतिबंधों से बच जाते हैं। संयुकत राष्ट्र का गठन झगडों तथा युद्ध से बचने के लिए किया गया था, मगर फिर भी इसके जन्म के बाद से 80 से अधिक झगड़े सामने आए हैं। इसकी निगरानी में कई तानाशाह शासकों ने निर्दोष नागरिकों के ख़िलाफ़ पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। संयुक्त राष्ट्र के स्रोतों के अभाव का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सदस्य, जिनमें अमरीका शामिल है, समय पर अपना योगदान नहीं चुकाते। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के समर्थकों का मानना है कि वैश्विक इकाई ने काफी हद तक अपना उद्देश्य पूरा किया है। यह तथ्य के उतार चढ़ावों के बावजूद इसका अस्तित्व बना हुआ है, दिखाता है कि इसने अपनी बाध्यताओं के भीतर रहते हुए कारगुज़ारी दिखाई है। सबसे बढ़कर गत 77 सालों में कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ। हालांकि पुतिन द्वारा रूस की परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने की धमकी ने यूक्रेन संघर्ष को खतरनाक बना दिया है। संभवत: यही समय है कि अपने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपनी सुधार प्रक्रिया में तेज़ी लाए। एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय इकाई के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए इसे अधिक ताक़त तथा पर्याप्त कोष की ज़रूरत है।□□

हज़रत उमर रज़ि॰ का फौजी निज़ाम 2

हज़रत उमर रज़ि॰ ने इनको बुलाकर ये ख़िदमत सुपुर्द की कि तमाम क़ुरैश और अंसार का एक दफ़्तर तैयार करे, जिस में हर शख़्स का नाम व नस्ब तफ़सील से दर्ज हो, इन लोगों ने एक नक़्शा बना कर पेश किया।

जिनमें सब से पहले बनू हाशिम फिर हज़रत अबू बकर का ख़ानदान फिर हज़रत उमर रज़ि॰ का कबीला था ये तरतीब इन लोगों ने ख़िलाफ़त व हुकूमत के लिहाज़ से क़रार दी थी लेकिन अगर वह क़ायम रहती तो ख़िलाफ़त ख़ुदगर्ज़ी का आलयेकार बन जाती।

उमर रज़ि॰ ने फरमाया यूं नहीं बल्कि आंहज़रत के क़राबतदारों से शुरू करो ओर दर्जा बदर्जा जो लोग जिस क़दर आंहज़रत से दूर होते गये है, इसी तरतीब से इनके नाम आख़ीर में लिखते जाओ, यहां तक कि जब मेरे कबीले का नाम आये तो मेरा नाम भी लिखो।''

इस अवसर पर याद रखना चाहिये कि ख़ुलफ़ाये अरबा में हज़रत उमर रज़ि॰ का नस्ब सबसे आख़ीर में जाकर आंहज़रत से मिलता है, गर्ज़ इस हिदायत के मुताबिक़ रजिस्टर तैयार हुआ और हस्बज़ैल तंख्वाहें मुक़र्रर हुई :-

तक़सीम मरातिब	तादाद तनख्वाह सालाना
जो लोग जंग बदर में शरीक थे	पांच हज़ार दिरहम
मुहाजरीन जैश और शिरकाये जंग उहद	चार हज़ार दिरहम
फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने हिजरत की	तीन हज़ार दिरहम
जो लोग फतेह मक्का पर ईमान लाये	दो हज़ार दिरहम
जो लोग जंग कादसिया और यरमूक में शरीक थे	दो हज़ार दिरहम
अहले यमन	चार सौ दिरहम
कादसिया और यरमूक के बाद के मुजाहरीन	तीन सौ दिरहम
बिला इम्तियाज़ मरातिब	दो सौ दिरहम

जिन लोगों के नाम दर्ज दफतर हुये उनकी बीवी बच्चों की तंख़्वाहें भी मुक़र्रर हुई, चुनांचे मुहाजरीन व अंसार की बीवियों की तंख़्वाहें 400 दिरहम तक और अहले बदर की औलाद जकूर की दो हज़ार दरहम मुक़र्रर हुई। इस मौक़े पर ये बात याद रखने के क़ाबिल है कि जिन लोगों की जो तंख़्वाहें मुक़र्रर हुई उनके गुलामों की भी वहीं तनख्वाहें रहीं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में गुलामों का क्या दर्जा थी।

जितने आदमी रजिस्टर में दर्ज हुये थे, अगरचे वह सबके सब दरहक़ीक़त फौज की हैसिअत रखते थे लेकिन इनकी दो क़िस्में क़रार दी गई (1) जो हर वक्त जंगी मुहिमात में मसरूफ रहते थे, गोया ये बाक़ायदा फौज थी, (2) जो आमतौर से अपने घरों में रहते थे लेकिन ज़रूरत के समय तलब किये जा सकते थे, इनको अरबी में मतूआ कहते हैं, आजकल इस तरह की फौज को वालिंटयर कहते हैं, अलबत्ता इतना फर्क है कि आजकल वालिंटयर पगार नहीं पाते।

फौजी नज़्मो नस्क का ये पहला दीबाचा था और इस वजह से इसमें कुछ बेतरतीबियां भी थी, सबसे बड़ा ख़लत मुबहसये था कि ये फौजी तंख़्वाहों के साथ पोलिटिकल तनखवाहें भी शामिल थी और दोनों का एक ही रजिस्टर था, लेकिन रफ्ता-रफ्ता यानि सन 21 हिजरी में हज़रत उमर रज़ि॰ ने इस सींगे को इस कदर मुरत्तब कर दिया कि शायद इस अहद तक कहीं और कभी नहीं हुआ था। चुनाँचे हम एक-एक जुबी इंतज़ाम को इस अवसर पर निहायत तफसील से लिखते हैं जिससे पता चलेगा कि अरब के इब्तिदाये तमद्दुन में फौजी प्रबंध की इस कदर शाखे क़ायम करनी ओर एक-एक शाख का इस हद तक मुरत्तब होना और बाक़ायदा करना इसी शख़्स का काम था जाे फारस के आज़म का लक़ब रखता था।

फौजी सदर मक़ामात

इस विभाग में सबसे मुक़द्दस और उसूली प्रबंध देश को जंगी हैसिअत से विभिन्न हिस्सों में तकसीम करना था, हज़रत उमर रज़ि॰ ने 20 हिजरी में फौजी और मुलकी हैसिअत से मुल्क की कि दो किस्में की मुल्की और फौजी मुल्की का हाल दीवानी प्रबंध के ज़िक्र में गुज़र चुका है, फौजी हैसिअत से कुछ बड़े-बड़े फौजी मराकज क़रार दिये गये, जिनका नाम जन्द रखा और यही इसतल्लाह आज तक कायम है इनकी तफसीला ये है:- मदीना, कूफा, बसरा, मौसल, फिसतात, मिस्र, दमिश्क, हिमस, उर्दूना, फिलस्तीन, हज़रत उमर रज़ि॰ के ज़माने में फतूहात की हद अगरचे बलूचिस्तान के डांडे से मिल गई थी लेकिन जो मुमलिक आईनी कहे जा सकते थे, वह सिर्फ ईराक, मिस्र, जजीरा और शाम थे। चुनांचे इसी उसूल पर फौजी सदर मकामात भी इन्हीं मुल्कों में क़ायम किये गये थे। मौसल जजीरे का सदर मकाम या शाम की वसअत के लिहाज़ से वहां बहुत से सदर मक़ाम क़ायम करने ज़रूरी थे, इसलिये दमिश्क, फिलिस्तीन, हिम्स उर्दून चार सदर मक़ाम क़रार दिये गये। फिसतात की वजह से जो अब काहिरा से बदल गया है, सारे मिस्र पर असर पड़ता था बसरा कूफा ये दो शहर फारस और ख़ूजिस्तान और तमाम मश्रिक की फतूहात के दरवाज़े थे। इनके सदर मकामात में जो इंतज़ामात फौज के लिये थे, वह हस्ब ज़ैल थे। (जारी)

अदालतों को दो शिफ्टों में चलाकर, लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाया जा सकता है

जस्टिस अशोक भान

मौजूदा समय में सरकार और न्याय पालिका से जुड़े कई अहम मुद्दों चर्चा के केन्द्र में बने हुए है। चाहे नागरिक अधिकारों पर हमले हों या मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की बात, लोगों के सामने ढेरो प्रश्न हैं। फिर पेंडिंग मुक़दमें भी हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अशोक भान से बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- न्यायपालिका और सरकार के बीच संबंध अभी कैसे हैं और कैसे होने चाहिए?

उत्तरः- इस समय सरकार और न्यायपालिका के संबंध काफी हद तक सौहार्दपूर्ण, ठीक हैं। इन संबंधों में बहुत ज़्यादा नज़दीकियां नहीं होनी चाहिए। सौहार्दपूर्ण संबंध होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यायपालिका और सरकार न्याय प्रक्रिया में साझेदार की भूमिका निभाते हैं। न्यायपालिका समय-समय पर सरकार को दिशा निर्देशित करती हैं। इस समय न्याय पालिका और सरकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

प्रश्नः- पेंडिंग मुकदमें हमेशा से हमारे जुडिशियल सिस्टम का सिरदर्द रहे हैं। बोलते सब हैं, इलाज कोई नहीं कर पाया। हालत यह है कि लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता.?

उत्तरः- लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के पीछे सबसे बड़ी वजह जजों की कमी है। हमारे यहां 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 14 जज हैं। विदेशों में इतनी बड़ी संख्या पर 100 जज होते हैं। इसके अलावा अदालतों में कार्यों का आबंटन कुछ ही लोगों के हाथों में हैं। इसके कारण अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे स्थगित होते हैं। ज़रूरी है कि मुकदमों का स्थगन कम से कम किया जाए। इसके लिए अदालतों के कर्मचारियों की छुट्टियों को कम किया जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण 02 वर्ष से अदालतों का कार्य प्रभावित हुआ है, इसीलिए भी इनमें बढ़ोत्तरी हुई है। पेंडिंग मामलों को ख़त्म करने में सबसे कारगर उपाय हो सकता है कि हम रिटायर हो चुक जजों का इस्तेमाल करें। अदालतों को 2 शिफ्ट में चलाया जाए। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। अदालतें वहीं रहेंगी, बस काम करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी। निचली अदालतों में सामान्य चालान, घरेलू विवाद, ज़मीनी के विवाद के अलावा अनेक छोटे-मोटे विवादों के लाखों मुकदमें पेंडिंग हैं। ये सारे मुकदमें रिटायर्ड जज के हवाले कर देने चाहिएं, ताकि जल्दी फैसला हो और जजों पर काम का बोझ कम हो सके। यह भी देखने में आता है कि एक ही तरह के कई केस हैं। इन सभी केसों की सुनवाई कंबाइंड होनी चाहिए और इस पर एक साथ फैसला दे दिया जाना चाहिए। यह मैं आपके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट मैंने कर्नाटक हाईकोर्ट में किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में हमने 9 माह के अंतर्गत 50 हजार मुक़दमे ख़त्म किए थे।

प्रश्नः- नागरिक अधिकारों पर हमले के केस इन दिनों खूब ढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर किसी को अपने हक़-हकूक़ की रक्षा करनी हो, जेब में बहुत पैसे भी न हो तो वह क्या करें?

उत्तरः- आपकी बात ठीक है कि नागरिक अधिकारों पर हमलों के केस इन दिनों बहुत बढ़ रहे हैं। इसके लिए लोगों को हमेशा सतर्क रहना होगा। इस सिंति में लोग सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि वकील लोगों से बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। वकीलों की फीस पर कंट्रोल करना होगा। इसको लेकर कानून बनाना बुत कठिन है पर वकीलों को निर्देशित किया जा सकता है कि वे लोगों से ज़्यादा फीस न लें। मैं मानता हूं कि हमारे युवा जो वकालत के पेशे से जुड़े हैं, वे इस बात को ज़रूर समझेंगे।

प्रश्नः- कॉलेजियम में गुटबाज़ी के आरोप लगते हैं। कुछ नेताओं ने इसको उत्तराधिकारी चुनने का सिस्टम तक कहा है..?

उत्तरः- मैं यह नहीं कहूंगा कि कॉलेजियम उत्तराधिकारी बनाने का सिस्टम है। कलीजियम एक अच्छा सिस्टम है। हम इसके बुरा सिस्टम नहीं बोल सकते हैं कलीजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कई वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम उन पर विश्वास करें। यह बात ठीक हे कि हमारा आज का कलीजियम सिस्टम बहुत ठीक नहीं चल रहा हैं इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की ज़रूरत है।

प्रश्नः- हाल ही में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाख़िल हुई हैं हम इस याचिका में नहीं जाना चाहते, बस यह जानना चाहते हैं कि संविधान में दिए मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों को कैसे प्रभावित करते हैं और क्या इन्हें न निभाने पर किसी को किसी तरह की सज़ा दी जा सकती है.?

उत्तरः- मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अध्याय-3 में हैं ये लागू करने योग्य अधिकार हैं। हमारे अधि कार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। अभी तक मौलिक कर्तव्य को आवश्यक करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाए गए हैं मैं मानता हूं कि प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य निभाने आवश्यक कर दिए जाने चाहिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। यह करना कानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है पर नैतिक रूप से ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों से ज़्यादा अहम हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। यह समय बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला लेता है। मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को क़ानूनी रूप से ज़रूरी किया जाना वर्तमान समय में आवश्यक है। ❑❑

दोष आपका और भुगतें विद्यार्थी, आख़िर क्यों?

ऑपरेशन गंगा के लिए हम अपनी सरकार की पीठ थपथपा सकते हैं। भारत अकेला देश है, जिसने अपने ज़्यादातर नागरिकों को जंग का मैदान बने यूक्रेन से निकाल लिया है। वैसे भी विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही बेहतरीन रहा है। लेकिन दु:ख इस बात का है कि रूस/यूक्रेन की इस जंग में मेडिकल के एक बेगुनाह भारतीय विद्यार्थी की मौत हो गई।

जो लौटे हैं, उनमें से बहुतों को जिस कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। इस सबसे बचा जा सकता था यदि एडवाइजरी जारी होते ही बच्चे वहां से निकल जाते। पिछले कॉलम में मैंने लिखा था कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग भले ही भारत से पांच हज़ार किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है लेकिन उससे प्रभावित होने वाले देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। उसका एक तत्काल उदाहरण तो भारतीय विद्यार्थियो के अति संवेदनशील अति कठिन और भयावह रूप में सामने आ चुका है। यहां कई सवाल खड़े होते हैं। अत्यंत उच्च शिक्षा या शोध परक शिक्षा की बात तो समझ में आती है लेकिन मेडिकल या उस जैसी पढ़ाई के लिए भी हमारे बच्चे विदेश क्यों जाते हैं? दूसरा प्रश्न है कि जब स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला कर देगा, इसके बावजूद भारतीय विद्यार्थी वहां रुके क्यों रहे? जबकि भारत सरकार ने विद्यार्थियों को यूक्रेन छोड़ देने की एडवाइजरी जारी कर दी थी।

तीसरा प्रश्न है कि क्या विद्यार्थियों को भारत लाने में सरकार ने देरी कर दी? भारत सरकार के साथ ही दुनिया के ज़्यादातर देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन तत्काल छोड़ने की सलाह दी। एडवाइजरी जारी हाते ही दूसरे देशों के नागरिक वहां पढ़ रहे विद्यार्थी बाहर निकल गए। हमारी एडवाइजरी के बावजूद हमारे बच्चे वहीं रहे। भारतीय दूतावास ने इस मामले में आख़िर सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? इस प्रश्न काा जवाब मिलना चाहिए। क्या हर काम देश के प्रध ानमंत्री को ही करना चाहिए। काम तो सिस्टम को करना चाहिए लेकिन हमारे यहां के सिस्टम में दोष है। हमें सोचना पड़ेगा कि जब तक चार मंत्री नियुक्त नहीं करेंगे, दूतावास को नहीं हिलाएंगे, जब तक मीडिया से आवाज़ नहीं उठेगी तब तक काम क्यों नहीं होगा? मैंने सिस्टम के इस दोष को करीब से देखा है। मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिंहाराव के साथ अमेरिका के दौरे पर गया था। वहां कैमरा क्रू का खराब हो गया। उसके लिए तत्काल कैमरे की ज़रूरत थी लेकिन इस बात पर चर्चा होती रही कि कैमरा किराये पर लेना है या नहीं, और इस चर्चा में एक कार्यक्रम मिस हो गया।

मैं आश्चर्यचकित था और न्यूयार्क से लौटकर मैंने इस विषय पर लिखा भी था। निश्चित रूप से यूक्रेन से विद्यार्थियों को निकालने में देरी हुई। एयर इंडिया का पहला विमान जब यूक्रेन से भारत के लिए उड़ा उसके कुछ ही देर बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। एयर स्पेस बंद हो गया और दूसरा विमान यूक्रेन नहीं पहुंच सका। उसके बाद विद्यार्थियों को दूसरे देशों के बॉर्डर पर पहुंचने के लिए कहा गया। एक युद्धग्रस्त देश में विद्यार्थियों के लिए घर से निकलना भी कितना कठिन रहा होगा, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि ऑपरेशन गंगा चार-पांच दिन पहले शुरू कर दिया गया होता तो हालात इतने ख़राब नहीं हुए होते। वैसे हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए यूक्रेन की सीमा से सटे देशों का और विशेषकर पोलैंड का जिसने बिना वीज़ा के भी हमारे विद्यार्थियों को अंदर आने की अनुमति दी ताकि वे भारत लौट सकें।

अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर कि हमारे विद्यार्थी आखिर सामान्य पढ़ाई के लिए विदेश जाने पर मजबूर क्यों होते हैं? आश्चर्यजनक है कि चीन जैसे देश में हमारे 23 हज़ार से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, पोलैंड जैसे देशों में ज़्यादातर भारतीय विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। वहां उनकी पढ़ाई करीब पच्चीस से तीस लाख रुपए में पूरी हो जाती है। भारत में यदि वे पढ़ना चाहें तो सबसे पहले कॉलेज में प्रवेश की कठिन प्रतिस्पर्धा से गुज़रना होता है क्योंकि हमारे यहां कुल जमा करीब साढ़े पांच सौ भी कम मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें सीटों की संख्या महज़ 85 हज़ार के आसपास ही है। यदि प्रतिस्पर्धा में सफल हो गए लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिली तो निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हर किसी के बूते में नहीं है। इसमें करोड़ों का खर्च आता है। यही कारण है कि भारत के छोटे छोटे गांव से भी लाखों विद्यार्थी पढ़ाई के लिए हर वर्ष विदेश चले जाते हैं। हर वक्त 11 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई कर रहे होते हैं।

ज़ाहिर सी बात है कि इसमें भारत के करोड़ों डॉलर विदेश चले जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में हमारे यहां के 2112 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कनाडा में 2116 लाख पढ़ रहे हैं। दुनिया में हमारे विद्यार्थियों की संख्या साढ़े ग्यारह लाख से ज़्यादा है। यदि हमारे यहां सरकार ठान ले कि अपने विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की माकूल और सस्ती व्यवस्था देश में ही करेंगे तो हमारे विद्यार्थी विदेश क्यों जाएंगे? लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद का केवल

बाक़ी पेज 11 पर

भाजपा को अब अखिलेश व सपा की चिंता करने की ज़रूरत

दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेशक उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके इतिहास रच दिया है लेकिन इसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई अत्यंत साहसपूर्ण लड़ाई के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है जिसने अपनी मत हिस्सेदारी 2017 के विधानसभा चुनावों में 21.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.1 प्रतिशत कर ली है। इसके अतिरिक्त सत्ताधारी पार्टी की वर्तमान 39.6 प्रतिशित मत इसके हिस्सेदारी की तुलना में इसने अपने खाते में 64 सीटों की वृद्धि की है।

समाजवादी पार्टी तथा भाजपा के बीच अंतर 10 प्रतिशत से भी कम का है यद्यपि इसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त अमित शाह, जे.पी. नड्डा तथा वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों आदि के द्वारा आक्रामक प्रचार के साथ इसका सामना किया था। भाजपा आधिकारिक मशीनरी, सशक्त आर.एसएस काडर, अथाह स्रोत, निष्ठापूर्ण पार्टी काडर से लैस थी जबकि अखिलेश यादव को यादवों तथा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने वाले की छवि से बाहर आने के लिए संघर्ष करना था हालांकि वह आधा दर्जन से अधिक जातिवादी समूहों के नेताओं के साथ गठबंधन करने में सफल रहे।

विश्लेषकों की राय है कि भाजपानीत गठबंधन तथा सपा-राजद गठबंधन के बीच अब अंतर मात्र 9.2 प्रतिशत का है जबकि इस बार भाजपा को पराजित करने के लिए इसे 15.4 प्रतिशत के बदलाव की ज़रूरत थी। अब उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा तथा भाजपा की हमला करने की क्षमता का परीक्षण होगा जो मोदी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि नरेन्द्र मोदी के उभार के साथ भाजपा की मत हिस्सेदारी 39.6 प्रतिशत तक पहुंच गई तथा पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव जीत लिए हालांकि पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी। सपा तथा बसपा को 50 प्रतिशत से अधिक वोट पड़ते थे जो 2019 के संसदीय चुनावों में नीचे आ गए जिसने भाजपा को प्रोत्साहित किया। नरेश के सामने नैरेटिव बदलने की चुनौती थी इसलिए उन्होंने जाति आधारित आधा दर्जन से भी अधिक छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना चुना, जिसने इसे यादवों तथा मुसलमानों के संगठन करना चुना, जिसने इसे यादवों तथा मुसलमानों के संगठन होने के कलंक से बाहर निकाला। उन्होंने ग़ैर यादवों तथा ओ.बी.सी. की ओर पूरा ध्यान दिया। सपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ हालांकि इसने यादवों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कुछ ज़मीन भाजपा को गंवा दी। भाजपा को इस तथ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 2017 के चुनावों में इसे सपा पर 18 प्रतिशत वोटों का लाभ प्राप्त था जो 2019 के संसदीय चुनावों में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया था।

जी-23 नेता फिर से सक्रिय हैं और 05 राज्यों में पराजय को लेकर खुली तथा स्वतंत्र चर्चा के बाद पार्टी की तुरंत सर्जरी के पक्ष में हैं। 2024 के संसदीय चुनावों में मोदी की भाजपा का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने का यदि विपक्ष कोई प्रयास करता है तो उसमें इसकी तोल-मोल की ताक़त भी कम हुई है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि राहुल गांधी को आगे आना और खुलकर यह घोषित कर देना चाहिए कि संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह पार्टी के नियमित अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेंगे। कांग्रेस ने गुजरात तथा हिमाचल में अच्छी कारगुज़ारी दिखाई है और इसलिए यह दोनों में भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठा सकती है। मगर कांग्रेस अव्यवस्थित है जो राज्यस्तर पर भी ख़राब संकेत भेजता है इसलिए केन्द्र में इसे मज़बूत करने के लिए आवश्यक क़दम उठाए जाने चाहिएं।

जनता का गुस्सा भी ला सकता है बदलाव। यह 1977 में था जब जनता का गुस्सा दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा के ख़िलाफ़ चरम पर था इसलिए जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण ने रायबरेली से उन्हें 55,200 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इसके अतिरिक्त लगभग सभी कांग्रेसी हार गए थे जिसने इंदिरा के राजनैतिक कैरियर को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई थी। अब 45 सालों के बाद पंजाब में इसे दोहराया गया है जब अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी की सुनामी ने कांग्रेस को अत्याधिक नुकसान पहुंचाया है जिसका श्रेय सामान्य जनता की पूर्ण निराशा तथा गुस्से को दिया जा सकता है। प्रकाश सिंह बादल, महाराजा पटियाला एवं पूर्व मुख्यमंत्री कें॰ अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चरण जीत सिंह चन्नी, राजेन्द्र कौर भट्ठल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नबजोत सिंह सिद्धू, शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आदि सहित ताक़तवर सामंतवादी तथा मज़बूत नेताओं के ख़िलाफ़ जनता में कितना गुस्सा था यह परिणाम के रूप में सामने आ चुका है।

आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। भारत के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में से एक 'पंजाब' में 'आप' को बहुत बड़ी जीत मिली है, जो इसे मज़बूत बनने तथा दिल्ली विधानसभा चुनावों में पुन: विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। एक क्षेत्रीय दल के तौर पर 'आप' ने दूसरा महत्वपूर्ण सीमांत राज्य जीता है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रमुख दावेदार होने की स्थिति का रास्ता साफ करता है और पार्टी संभवत: 2024 के संसदीय चुनावों में भाजपा का सामना करने के लिए संयुक्त विपक्ष के एक स्वीकार्य चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल को पेश करने की योजना बना सकती है। 'आप' ने गोवा में भी दस्तक दी है जो इसकी अन्य राज्यों में विस्तार करने की महत्वकांक्षा दर्शाती है।

पंजाब में विजय केजरीवाल को गुजरात पर ध्यान केन्द्रित करने को प्रोत्साहित कर सकती है जहां नवंबर 2022 में चुनाव होने हैं। 'आप' ने गत वर्ष गांधी नगर तथा सूरत में निकाय चुनावों में उल्लेखनीय फायदा उठाया जो पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा। मगर चुनावों के दौरान केजरीवाल द्वारा किए गए बड़े-बड़े वायदों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार, ड्रग्स की बुराई तथा वित्तीय दबाव को संभालना 'आप' के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। इसके साथ ही पार्टी ने इस वर्ष नवम्बर में होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों के लिए कमर कस ली है।❑❑

रोज़गार .....

'गणित' के सवालों में मिलेगी उज्जवल भविष्य की राह

जब भी गणित की बात होती है। 'हयूमन कम्प्यूटर' के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी की चर्चा अवश्य होती है। छात्र अक्सर कहते हैं कि गणित बहुत कठिन विषय है लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से समझा जाए तो यह न केवल आसान हो जाएगा बल्कि इसमें एक बहुत अच्छा भविष्य भी बना सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, 'भगवान ने दुनिया बनाने के लिए सुंदर गणित का इस्तेमाल किया।' यदि भगवान ने दुनिया बनाने में गणित का उपयोग किया है तो गणित मनुष्य के विकास में बहुत पीछे नहीं रह सकता। जीवन के हर पहलू में गणित महत्वपूर्ण हैं। आप सोच सकते हैं कि गणित हमारे सामान्य जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप इसमें भविष्य कैसे बना सकते हैं और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है।

रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में गणित की ज़रूरत दैनिक कार्यों में उपयोगिता

हमारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, इसके लिए हर स्तर पर गणित का ज्ञान आवश्यक है। लाभ, हानि, समय, काम और मज़दूरी और सामान्य ब्याज का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है इसका शिक्षण व्यावहारिक तरीक़े भी प्रदान करता है।

सामाजिक और आर्थिक कल्याण के विकास का हिस्सा : गणित का शिक्षण व्यक्ति के विकास के साथ-साथ समाज और भौतिक चीज़ों के विकास के लिए फायदेमंद है। आज विज्ञान की सभी शाखाओं में गणित का उपयोग अनिवार्य हो गया है। गणित की मदद के बिना भौतिकी, रसायन विज्ञान, वर्गीकरण, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान को नहीं समझा जा सकता। गणित का इस्तेमाल चन्द्रमा पर भेजे गए जहाज़ की गति और नियंत्रण, चन्द्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव, चन्द्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग मानव को करीब लाया है।

गणित के विकल्प

चार्टर्ड अकाउंटेंट: भविष्य संवारने के लिए गणित की अच्छी समझ होना ज़रूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानि सी.ए., का सारा काम अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्स से संबंधित है।

कैरियर कैसे बनाए: आई.सी.ए. आई.सी.ए. (ICAI CA) के सिलेबस का पालन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा है। इसके बाद प्रारंभिक पाठयक्रम सीपीसी (CPC) पाठयक्रम है, दूसरा पाठयक्रम आईपीसीसी (IPCC) (इंटरमीडियट) है और आप आख़िरी चरण सी.ए. को अन्तिम रूप दे सकते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद, छात्रों को अपना कैरियर शुरू करने का एक बड़ा अवसर मिलता है लेकिन इसकी नींव गणित के ज्ञान से शुरू होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का काम सॉफ्टवेयर को डिजाइन और विकसित करना है। इस काम में, छात्रों को कम्प्यूटर और विज्ञान के साथ गणित और उनके सिद्धांत का इस्तेमाल करना होगा।

ऑप्रेशंस रिसर्च एनालिस्ट: ऑपरेशंस रिसर्च एनालिस्ट के प्रोफाइल और इससे जुड़े काम को केवल एप्लाइड मैथेमेटिक्स और फार्मल साइंस की ब्रांच माना जा सकता है। यह सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय अनुकूलन जैसे आधुनिक तर्क का उपयोग करता है।

कैरियर कैसे बनाएं: इसके लिए गणित, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस या फिजिक्स में डिग्री की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग: गणित की अच्छी समझ हो तो छात्र अकाउंटेंट, कस्टर सर्विस, फ्रंट डैस्क, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लोन प्रोसेसिंग अफसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, रिकवरी का प्रोफाइल बनाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद, छात्र विभिन्न बैंकों की परिक्षाएं दे कर वहां रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं।

गणितज्ञ: गणितज्ञ वे विशेषज्ञ होते हैं जो गणित के आवश्यक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान का अध्ययन या संचालन करते हैं। इसके अलावा वे तर्क, परिवर्तन, संख्या आदि की समस्याओं को हल करते हैं। इस क्षेत्र में गणित का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है।

आप इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए 12वीं के बाद गणित में स्नातक कर सकते हैं और फिर मास्टर और पी.एच.डी. भी कर सकते हैं।

प्रोफेसर: यदि आपको गणित के क्षेत्र की अच्छी समझ है, तो शिक्षण का क्षेत्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां तक कि अच्छे स्कूलों

बाक़ी पेज 11 पर

इस्लामी दुनिया

पाक : अविश्वास प्रस्ताव पर सबको मिले वोट का हक़

इस्लामाबाद: सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने से रोकने के इमरान सरकार के फैसले को विपक्ष ने असांविधानिक बताया हैं पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि सांसदों के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वायुसेना का लड़ाकू विमान लापता, पायलट को बचाया

ताइपे : ताइवान की वायुसेना ने कहा कि उसका फ्रांस निर्मित मिराज 2000 लड़ाकू विमान द्वीप के पूर्वी पर लापता हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल हुआंग चुग काई को यांत्रिक दिक्कत की सूचना देने के बाद निकाला गया। हुआंग ने नियमित प्रशिक्षण अभियान के तहत तैतुंग हवाई अड्डे से करीब एक घंटे पहले उड़ान भरी थी। उन्हें एक बचाव हेलिकॉप्टर ने बचाया। वायुसेना उपकरणों के पुराने होने और चीन के इस द्वीप को अलग थलग करने के प्रयासों के बीच ताइवान नए उपकरण खरीदने में परेशानी का सामना कर रहा है।

ईरान ने ली अमेरिकी कांसुलेट पर गिराई गई मिसाइलों की ज़िम्मेदारी

तेहरान : ईरान ने कहा कि तेहरान ने कई बार इराक को चेतावनी दी थी कि ईरान के खिलाफ़ हमले करने के लिए उसके क्षेत्र का इस्तेमाल तीसरे पक्ष द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच, ईरान के रिवोल्युशनरी गाडर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने कहा, 'सीरिया में इस्राईल के हमलों क जवाब में यह हमला किया गया है। पिछले दिनों इरबिल पर एक दर्जन बैलेस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं।

भारत-पाक पर मिसाइल, संवाद करें भारत-पाक बात : चीन

चीन ने सलाह दी है कि भारत और पाकिस्तान को मिसाइलों के मसले पर एक प्रणाली बनाकर परस्पर संवाद करना चाहिए। भारत की ओर से पाक के पंजाब प्रांत में ग़लती से मिसाइल दागे जाने के मामले में पाकिसतानी पत्रकार के सवाल पर चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लिझियन ने कहा, 'दोनों देशों को इस मसले को संवाद से हल करना चाहिए। लिझियन ने कहा कि भारत-पाक दक्षिण एशिया के अहम देश हैं और दोनों पर क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता की ज़िम्मेदारी है।

दीर्घकालिक विकास की चुनौतियाँ

लालजी जायसवाल

विश्व के अनेक देशों ने अगले एक दश यानि वर्ष 2030 तक विश्व का परिदृश्य बदलने के उद्देश्य से दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को अपनाया हैं हालांकि दीर्घकालिक या कहें टिकाऊ विकास का ढांचा एक जटिल ज़रूरत है परंतु यह कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वरदान भी है। विकास के इस स्वरूप को सैद्धांतिक रूप में तो अपना लिया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप को अपनाने में हम आज भी लक्ष्य से कोसों दूर हैं टिकाऊ विकास का व्यावहारिक लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब हम अपने संसाधनों का परीक्षण करेंगे। उदारीकरण के युग में विकास एक बदलाव है, समाजों का बदलाव, संस्कृति का बदलाव, अर्थव्यवस्थाओं का बदलाव और मानव विकास का बदलाव। इसलिए विकास पोषणनीय होना चाहिए, यानि हम विकास करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें और संसाधनों को आगामी पीढ़ियों के लिए छोड़ दें। आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है, तब दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों की चर्चा चारों ओर हो रही है।

1908 में गांधी जी ने हमें इसी का मार्ग दिखाया था। अपने 'हिंद स्वराज' में उन्होंने भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारी खोज को देखते हुए मानव के भविष्य के लिए उत्पन्न ख़तरों को भी रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य का लालच विकास के सभी पहलुओं को विकृत करता जा रहा है और जीवनशैली से स्थायित्व की अवधारणा पृथक होती जा रही है। धारणीय जीवनशैली का अर्थ जीवन से उपभोक्तावाद को कम करना और सुख की जगह आनंद को तरजीह देना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सुखवादी और उपयोगितावादी होता है और ये दोनों ही प्रवृत्तियां दीर्घकालिक विकास की राह में बाधक है। आज मनुष्य के जीवन में उपभोक्तावाद का ज़हर इतना ज़्यादा घूल चुका है कि वह प्रकृति के संसाधनों का अधिकतम दोहन कर लेना चाहता है, भले मानव जाति को इसके परिणाम कुछ भी क्यों न भुगतने पड़े।

ग़ौरतलब है कि उदारीकरण के बाद का युग आर्थिक संवृद्धि और प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें केवल आर्थिक वृद्धि पर ही ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है लेकिन ध्यातव्य है कि दीर्घकालिक विकास के दो प्रमुख शत्रु हैं, एक आर्थिक वृद्धि की होड़ और दूसरा – तेजी से बढ़ती जनसंख्या। इसी का परिणाम है कि आज दीर्घकालिक विकास की अवधारणा और प्रयास बाधित हो रहे हैं और इसी वजह से समय- समय पर मनुष्य को प्रकृति का कोपभाजन भी होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति का दोहन करना मनुष्य अपना अधिकार मान बैठा है। प्रकृति में आज ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मानव ने व्यापार न किया हो, फिर वह चाहे हवा हो अथवा पानी। उसका यही लालच आज समस्त मानव जाति के लिए काल बन कर अब तक विश्वभर में अठारह लाख लोगों की जान लील चुका है। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन पिछली तीन सदियों में प्रकृति का दोहन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज समूचि धरती के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया हैं मनुष्य ने बस्तियां बसाने के लिए धरती से जंगलों का सफाया कर दिया। खेती तथा ज़मीन के लिए जंगलों में आग लगाई, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनने के लिए धरती को खोद डाला। जनसंख्या वृद्धि ने प्रदूषण फैलाया, पवन ऊर्जा के लिए पवन की गति को बाधित किया और अपनी आवश्यकता के लिए उद्योग धंधे लगाकर प्रदूषण की समस्या खड़ी कर दी। आज दुनियाभर में नदियों का अस्तित्व गंभीर संकट में है। एक समय में जल का सबसे बड़ा स्रोत रहीं नदियां आज विलुप्त होने के कगार पर है।

बड़ी संख्या में नदियां प्रदूषण का संकट झेल रही हैं। प्रकृति के दोहन से मनुष्य को यह भरोसा हो गया था कि उसने प्रकृति को पूरी तरह पराजित कर दिया है। इन सभी प्रकृति विरोधी कार्यों से हम आर्थिक संबृद्धि तो दे सकते हैं लेकिन टिकाऊ विकास नहीं। आज का दौर विशुद्ध उपभोक्तावाद का है, जिसकी वजह से मनुष्य अपना स्वत्व खोता चला जा रहा है और अर्थ केन्द्रित हो गया है। हम पूंजीवाद को अपना सर्वस्व मान बैठे हैं, जिसमें प्रकृति के विनाश पर आर्थिक विकास की इमारत खड़ी होती है। ऐसे में यह दौर इस बात पर आत्मचिंतन करने का भी है कि आख़िर हक़ीक़त में पूंजीवाद ने हमें क्या प्रदान किया है? अगर वाक़ई गंभीरता से विचार करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नतीजा यह निकलेगा कि वैश्वीकरण और इसकी आड़ में पनपनी नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा घातक ज़्यादा साबित हुई है। वैश्वीकरण ने ओजोन परत क्षरण, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, विलुप्त होते प्राकृतिक संसाधन, वातावरण प्रदूषण और छद्म आर्थिक वृद्धि व प्रतिस्पर्धा और मानव विनाशक विषाणुओं के अलावा और कुछ नहीं दिया है लेकिन यह कहना ग़लत नहीं होगा कि कोरोना जैसी विनाशक महामारियों और आपदाओं ने मानव को चेतावनियां भी दी हैं लेकिन लगता है हमने अभी तक अपनी आंखें खोली नहीं है। कोरोना महामारी से दुनिया में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों इसकी चपेट में हैं लेकिन ऐसी आपदाएं दुनिया का स्वरूप भी बदल रही हैं। आज कुछ ही समय में भारत सहित कई देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। भारत जैसे देश ने संकट को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भरता का रास्ता खोजने की कोशिश की। देश में कई विशेष उत्पाद सामने आए, जिनका हम पहले आयात करते थे। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मंद पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना महामारी से ही आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाने और जीवनशैली में बदलाव लाने की भी भरपूर सीख मिली है। लेकिन कहीं हम इस सबक़ को आने वाले समय में भुला न बैठें।

यह भी सत्य है कि अगर मनुष्य इस महामारी से हासिल सबक़ को अपना लेता है तो समूचा जीवन एक आदर्शतम रूप में होगा और विकास भी आर्थिक संवृद्धि मात्र न होकर सतत् और दीर्घकालिक होगा। ऐसा कर हम पुन: अपने आदर्श जीवन की ओर लौट सकते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एक महामारी भी हमें दीर्घकालिक विकास के प्रति सचेत कर सकती है और उसका रास्ता दिखा सकती है। इसलिए अब हमें विकास के तरीकों को त्यागने में देर नहीं करनी चाहिए जो जीवन के लिए संकट का कारण बन रहे हैं। जैसे हमें प्लास्टिक उपयोग से बचना होगा और पर्यावरण को बचाना होगा। डेनिस डोनेला (डेनमार्क) ने अपने शोध पत्र में कहा था कि अगर एक वृक्ष काटा जाए तो एक वृक्ष लगाना साम्यावस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर हम एक वृक्ष काटते है और बदले में पांच पौधे भी लगाते हैं, पर उसकी नियमित देखभाल नहीं करते तो यह पर्यावरण विदोहन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य जीवन में धारणीय शैली को अपना ले तो विकास स्वयं ही धारणीय बनता चला जायेगा। स्पष्ट है कि मनुष्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर अपने आयुष्मान होने की कल्पना नहीं कर सकता। हमें नहीं भूलना चाहिए कि धारणीय विकास एक विशाल यज्ञ की तरह है, जिसमें समाज के हर वर्ग को अपनी आहुतियां डालनी होंगी। इस क्षेत्र के अगुआ देशों के अनुभवों से ज्ञान लेकर अगर हम सरकार और समाज की साझेदारी करने में सफल हो गए, तो धरती पर जीवन बचाने में कामयाब हो सकेंगे।

इंसान के चेहरे जैसे वाली शार्क को पकड़ा

जकार्ता : इंडोनेशिया में एक ऐसी शार्क को मछुआरे ने पकड़ा है, जिसका चेहरा लगभग इंसानों जैसा दिखता है। इस अनोखी म्यूटेंट शार्क को देखकर हर कोई हैरत में है। दरअसल इस शार्क को एक बड़ी शार्क के पेट से निकाला गया है। शार्क की ख़बर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते मछुआरे के घर के बाहर भीड़ जुट गई। कोई इसे देखकर दहशत में आ गया, तो कोई हैरत में पड़ गया। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला नूरन ने इस अनोखी शार्क को ईस्ट नूसा तेंगारा प्रांत में पकड़ा है। नूरन के मुताबिक उसके जाल में एक गर्भवती शार्क फंस गई थी। उसने जब उसका पेट काटा तो पेट से तीन बच्चे निकलें, जिनमें से एक का चेहरा हुबहू इंसानों से मेल खाता था। जबकि दो अन्य अपनी मांग के जैसी थीं।

मछुआरे ने पकड़ी गई इंसानों के चहरे वाली इस शार्क को बेचने से साफ इंकार कर दिया है। उसका कहना है कि जिसने भी इसे देखा वो इसे बड़ी रक़म देकर खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने साफ इंकार कर दिया। नूरन ने कहा कि ये नायाब है और मैं इसे बेचने के बजाय इसे संरक्षित करूंगा। अब यह मछुआरा इस शार्क की अपने घर में अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है।

सामाजिक गठन और वृद्धावस्था की चुनौतियाँ

बिभा त्रिपाठी

वृद्धावस्था की चुनौतियों को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। कैसे हो उनकी देखभाल, सेवा और उपचार? यों विकास की अवस्थाओं में वृद्धि और ह्रासात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते है, पर वृद्धावस्था वह अवस्था हे, जिसमें ह्रासात्मक परिवर्तनों का प्रभाव ही प्रमुखता से परिलक्षित होता है इसमें व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है।

भारत के कुछ परिवारों में निश्चित तौर पर प्रेमचंद की बूढ़ी काकी आज भी रहती हैं। ये अमूमन ऐसे मध्यवर्गीय परिवार होते हैं जो आगे की ओर देखते हुए अपनी संतानों के लिए हर सुख-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अपनी संतानों पर निवेश करते हैं और बूढ़ी काकी के अंत का इंतज़ार करते हैं, चाहे इस उपेखा से वे मानसिक रोगी या अवसादग्रस्त ही क्यों न हो जाएं। इन बूढ़ी काकियों की पुत्रियां अगर आत्मनिर्भर हुईं और सही मायने में शिक्षित दीक्षित हुईं, तो रूढ़िवादी सोच और परंपरा से ऊपर उठ कर अपने दायित्वों को अवश्य पूरा करती हैं। उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में इस शर्त के साथ अधिकार दिया गया है कि बेटियां भी बेटी की तरह ही अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करेंगी।

समाज का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए एक अन्य स्थिति का भी हवाला दिया जा सकता है, जहां एक नौकरी पेशा अविवाहित लड़की स्वेच्छा से अपनी जमा पूंजी अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल में लगा देती है, पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा भी नहीं करती और अपने भाई भतीजों के नाम अपनी संपत्ति की वसीयत तक कर देती है। ऐसी लड़कियों की इच्छा होती है कि जिस प्रकार सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की है उसी प्रकार ऐसे माता-पिता की देखभाल के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की है उसी प्रकार ऐसे माता-पिता की देखभाल के लिए भी सवैतनिक अवकाश का कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए।

आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक करोड़ से ज़्यादा वृद्ध आबादी है, जिसमें विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर एवं एकल वृद्ध के अपने-अपने अलग आंकड़े हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान की चर्चा प्रासंगिक है, जिसमें अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ऐसे प्रभावी उपायों को अपनाएगा, जिसमें वृद्धावस्था, बीमारी और निर्योग्यता जैसे मामलों का सार्थक समाधान निकाला जा सकेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(1)(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि अगर माता-पिता स्वयं अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनके बेटा-बेटी उनकी देखभाल करेंगे। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम भी बेटे और बेटियों पर अपने माता पिता के भरण पोषण का दायित्व अधिरोपित करता है।

इसके अलावा वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और भरण पोषण के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया, जिसके माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिक वह है जिसकी आयु साठ वर्ष से अधिक है। पर एक अभिभवक, अभिभावक है, भले ही वह साठ की आयु का न हो। यानि बच्चे अपने अभिभाषण के भरण पोषण के लिए उसी प्रकार ज़िम्मेदार होंगे चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। ऐसा न करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत दण्ड और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। पर अन्य अधि नियमों की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे यह सिद्ध करना कि कौन लोग जानबूझ कर अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं? इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? और यह कि अगर बच्चों को अभियुक्त माना जा रहा है, तो क्या आपराधिक विधि के वे सिद्धांत जो अभियुक्त की निर्दोषिता, संदेह से परे दोष की सिद्धि और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिए जाने की बात करते हैं, वे भी लागू किए जाएंगे? यह अधिनियम एक और तो कहता है कि जो माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने स्वयं की आय से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनके भरण पोषण की ज़िम्मेदारी उनके बच्चों पर होगी और दूसरी तरफ वृद्ध जनों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण के लिए उपयुक्त प्रावधान की बात भी की गई है। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, जिसकी अनदेखी इस अधिनियम में की गई है, वह यह कि ऐसे भी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो साठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होकर अपने कार्यस्थल को छोड़कर घर आते हैं, जहां उनके वृद्ध माता पिता रह रहे होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण कैसे करेंगे? किन विधि क दायित्वों के अधीन होंगे? क्या उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा?

सांपत्तिक उत्तराधिकारी के अपने दायरे हैं और रिश्तों की डोर थामने के अपने भाव हैं। जब समाज अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों से विमुख होता है तो विधिक दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं, जिसमें सदैव कुछ न कुछ कमियां बनी रहती हैं, इसलिए वृद्धजनों के उम्र के मनोवैज्ञानिक विभाजन के आधार पर कानूनों में यथोचित परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार बच्चों की देखभाल के लिए केन्द्र बनाए जा रहे हैं उसी प्रकार वृद्धजनों की देखभाल हेतु केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि नौकरी पेशे वाले दंपत्ति भी अपने बच्चों को या माता पिता को जैसी स्थिति हो वहां रख सके।

ऐसे में प्रश्न है कि जब समाज में परिवर्तन अत्यंत तीव्र गति से होने लगे, दुर्खीम का यांत्रिक समाज सावयवी समाज में बदलने लगे और संयुक्त परिवारों का मजबूरन विघटन होने लगे, छोटे परिवार की संकल्पना में वृद्ध माता-पिता की अवधारणा ही समाप्त होने लगे तो संवेदनाओं के क्षरण पर क़ानूनों का लेपन काम नहीं करता। यहां पर भी उल्लेखनीय है कि छोटे परिवार या हम दो हमारे दो की संकल्पना परिवार नियोजन से संबंति है, परिवार कल्याण से नहीं। परिवार कल्याण में कम से कम तीन पीढ़ियों का समावेशन अपरिहार्य है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी और बच्चों की इकाई अनिवार्य रूप से शामिल हो। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा और कहानियों के साथ छोटे-छोटे समूहों में वृद्ध जनों को भी यह समझाने की आवश्यकता है कि उन्हें अपने बच्चों की नौकरी की दशाओं और शर्तों को समझाते हुए उनके साथ उनके कार्यस्थल पर जाकर रहने में भी गुरेज़ न हो।

कई बार समस्याएं केवल इसलिए उत्पन्न हो जाती हैं कि दो अलग-अलग जगहों पर परिवार रहने लगते हैं, जिसकी वजह से देखभाल में परेशानी आती हैं इसके अलावा आवश्यकता इस बात की भी है कि चाहे संपत्ति हो या न हो, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, वे न जीवनभर साथ रहेंगे, न दोबारा मिलेंगे और न उनका कभी कोई विकल्प होगा। भारतीय परंपरा में माता-पिता और सास ससुर, बेटे, दामाद और बेटी, बहू जैसे रिश्ते दो परिवारों को जोड़ने के लिए, उनके सुख दुख को साझा करने के लिए और एक दूसरे का संबल बनने के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक वैचारिक गिरावट को क़तई जगह नहीं दी जानी चाहिए कि बेटा बहू ही अपने माता पिता की ज़िम्मेदारी उठाएंगे।

सांपत्तिक उत्तराधिकारी के अपने दायरे हैं और रिश्तों की डोर थामने के अपने भाव हैं। जब समाज अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों से विमुख होता है तो विधिक दायित्व अधिरोपित किए जाते हैं, जिसमें सदैव कुछ न कुछ कमियां बनी रहती हैं, इसलिए वृद्धजनों के उम्र के मनोवैज्ञानिक विभाजन के आधार पर कानूनों में यथोचित परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार बच्चों की देखभाल के लिए केन्द्र बनाए जा रहे हैं उसी प्रकार वृद्धजनों की देखभाल हेतु केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि नौकरी पेशे वाले दंपत्ति भी अपने बच्चों को या माता पिता को जैसी स्थिति हो वहां रख सके।

इसके अलावा संवादहीनता को ख़त्म करने की पहल होनी चाहिए। सामंजस्य स्थापित करने की समझ सभी के अंदर विकसित होनी चाहिए, ताकि भारतीय समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था परिवार पूरे दमखम के साथ चिर नवीन बनी रहे, इसमें न कभी कोई घुन लगे, न कोई दीमक और भारत अपनी भारतीयता के साथ अपने संस्कारों के साथ अपने कल और आज के साथ नित नई ऊंचाईयों को प्राप्त कर सके। ❑❑

ख़ास ख़बरें

चीन में फिर कोरोना का आतंक

बीजिंग : चीन के वुहान से 2019 में शुरू कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर चीन को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने कहा कि देश में इस साल अब तक 2021 में दर्ज कि गए मामलों से भी ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। उधर डब्ल्यूएचओ ने चेताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा से मिलकर अब नया वैरिएंट आ सकता है जो विश्व में चौथी लहर के लिए ज़िम्मेदार होगा। चीन में एक दिन में 1,337 नए मामले दर्ज हुए हैं। गत वर्ष 2021 में पूरे साल में चीन के भीतर 8,378 मामले दर्ज हुए तो इस वर्ष अब तक 9,000 से ज्यादा हो गए हैं।

कनाडा में राजमार्ग सड़क हादसा पांच भारतीय छात्रों की दर्दनाक मौत

टोरंटो : कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में पांच भारतीय छात्रों की मौत हो गई। यह हादसा सदर्न ओंटारियो के क्विंटे वेस्ट शहर में राजमार्ग 401 पर पर एक वैन और ट्रैक्टर के बीच टक्कर होने के कारण हुआ। क्विंटे वेस्ट में ओंटारियो की प्रांतीय पुलिस ने बताया कि हादसे में हरप्रीत सिंह, जसपिंदर, सिंह, करणपाल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार की घटनाथल पर ही मौत हो गई। छात्रों की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच बताई गई है।

चीन में भारत के नए राजदूत रावत ने संभाला प्रभार

बीजिंग : चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार ने प्रभार संभाल लिया हे। रावत चार मार्च से चीन में ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पृथकवास में थे। अब तक विक्रम मिस्त्री यह ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे। मिस्त्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी रावत नीदरलैंड में राजदूत रह चुके हैं। रावत की नियुक्ति ऐसे समय में की गई है, जब चीन से पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध है।

ओबामा कारोना संक्रमित, मोदी ने शीघ्र स्वस्थ की कामना की

वाशिंगटन : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बताया है कि वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पिछले दिनों ओबामा के गले में खराश थी और उन्होंने कहा है कि अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, शुक्र है मैंने और मिशेल के टीकाकरण करा लिया था और बूस्टर डोस भी ली है।

इस्लाम में यतीमों के हुक़ूक़

सल्ल॰ और क़ुरआन मजीद की तालीमात में यतीमों के हुक़ूक़ के बारे में अल्लाह तआला ने सख़्त अहकामात दिए हैं। उन अहकामात की रौशनी में हम यतीमों के हुक़ूक़ को बिलइख़्तियार मुन्दर्जा ज़ैल नुकात की शक्ल में बयान कर सकते हैं :–

1. यतीम बच्चे का एहतिराम व इकराम और प्यार व मुहब्बत अपने बच्चों से भी बढ़कर किया जाए ताकि उसे अपने बाप की अदमे मौजूदगी का एहसास न हो।

2. यतीम बच्चे की परवरिश व पर्दाख़्त उसी तरह की जाए जिस तरह अपने बच्चों की करते हैं।

3. यतीम बच्चे की तालीम व तर्बीयत का पूरा एहतमाम किया जाए और उस पर उठने वाले इख़राजात अगर यतीम बच्चे के अपने वालिदैन के तरका से अदा किए जा रहे हैं तो उन्हें अदल के साथ किया जाए।

4. यतीम बच्चे की जायदाद और माल की हिफाज़त और उसकी सरमायाकारी का उसी तरह एहतमाम किया जाए जिस तरह कोई शख़्स अपनी जायदाद का करता है। इंसाफ़ के साथ उसे अपनी मेहनत का हक़ लेने का हक़ हासिल है।

5. यतीम बच्चे के मां की उस वक्त तक हिफाज़त की जानी चाहिए जब तक बच्चा सिन्ने बुलूगत को पहुंचकर उस जायदाद को संभालने के लिए ज़रूरी इल्मी व अक़्ली इस्तेदाद व कमाल का मालिक न बन जाए।

6. खुश कलामी व खुश अख़लाक़ी के साथ यतीम की माली कफ़ालत और हाजत रवाई मुआशरे के सारे अफराद पर वाजिब है। आंहज़रत सल्ल॰ का इर्शाद है :

''मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वह है जिस में किसी यतीम के साथ भलाई की जा रही हो और सब से बदतर घर वह है जिसमें किसी यतीम के साथ बदसलूकी की जाती हो।''

एक और जगह इर्शाद फरमाया: ''मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूं दो उंगलियों की तरह क़रीब होंगे।''(बुख़ारी व मुस्लिम)

7. यतीमों के साथ मुआशरती अद्ल व एहसान का हुक्म है और

इस्लामी मुआशरा में यतामा को लोगों के मालों से उनके सदक़ात व ख़ैरात की रक़म लेने का हक़ हासिल है और यह उन पर किसी का एहसान नहीं बल्कि यह मालदार लोगों पर उन यतीम बच्चों का एहसान है जो वह माल लेकर उसके माल में मज़ीद ख़ैर व बरकत का सबब बनते हैं।

यह सिलसिलए तरहहुम उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि उनको रिश्तए इज़्दिवाज में मुंसलिक न कर दिया जाए। यतीम बच्ची के साथ शादी करने और उसे दबाए रखने के इरादों को इस्लाम ना-पसंद करता है। इस्लाम का हुक्म यह है कि यतीम बच्चों के साथ इंसाफ़ न कर सको तो उसके साथ बिल्कुल निकाह न करो।

8. यतामा की परवरिश के लिए मुसलमानों के सदक़ात व ख़ैरात की रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। परवरिश से मुराद बच्चों के खुर्दो नोश (खाने पीने), लिबास और तालीम व तर्बीयत के इख़राजात हैं।

9. ग़रीब व यतीम को खाना खिलाना नेकी है लेकिन कभी भी उस नेकी का एहसास दिलाना या जतलाना जाइज़ नहीं है।

10. यतीम के वली पर लाज़िम है कि वह यतीम के माल और जायदाद का मुनासिब इंतज़ाम करे जिसमें तिजारत के ज़रिए अफज़ाइशे माल का एहतमाम करे और फिर जब वह बालिग़ हो जाए तो पूरी दियानतदारी से उसका अस्ल बमअ मनाफ़ेअ उसको वापस कर दे।

11. यतीम बच्चों की परवरिश व पर्दाख़्त की निगरानी और इस सिलसिला में लोगों को तरग़ीब व तरहीब देने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है।

12. इस्लामी मुआशरा में यतामा को लोगों के मालों से उनके सदक़ात व ख़ैरात की रक़म लेने का हक़ हासिल है और यह उन पर किसी का एहसान नहीं बल्कि यह मालदार लोगों पर उन यतीम बच्चों का एहसान है जो वह माल लेकर उसके माल में मज़ीद ख़ैर व बरकत का सबब बनते हैं।

13. अगर यतीम बच्चों के वारिस माल न छोड़कर मरें और वह ग़रीब हो तो मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि वह उनकी इजतिमाई क़फालत के लिए सेहतमंद और नफ़ा बख़्श बा इज़्ज़त रोज़गार फराहम करे।

14. यतीम बच्चों का माल अमानत है जो कोई उनके माल का अमीन बनेगा और फिर ख़यानत का मुर्तकिब होगा तो उसे शदीद अज़ाब की वईद सुनाई गई है।

15. यतीमों में बाज़ इस क़िस्म के लोग होंगे जो कि दस्ते सवाल दराज़ करने से बवज्हे शराफ़त गुरेज़ करते हैं। इस्लाम में ऐसे लोगों की ज़रूरियात का ख़्याल रखना मुआशरे की ज़िम्मेदारी हैं क़ुरआन मजीद में इर्शादे रब्बानी है :

''ख़ासतौर पर मदद के मुस्तहिक़ वह तंगदस्त हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपने ज़ाती कसबे मआश के लिए ज़मीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी ख़ुद्दारी देखकर वाक़िफ़ गुमान करता है कि यह खुशहाल हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालात जान सकते हो मगर वह ऐसे लोग नहीं कि लोगों के पीछे पड़कर भीख मांगें, उनकी इआनत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वह अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगा।''(सूरए बक़रह : 273) ❑❑

नअ्त शरीफ़

ख़्वाजा आबिद निज़ामी

भेजे दुरूद जो शहे दीं की जनाब में
मुमकिन नहीं रहे वो ग़मो इज्तिराब में
दोनों जहां की नेमतें क़दमों में आएंगी
आजाओ, बारगाहे रिसालत मआब में
सरकार के पसीने की थी बात ही कुछ और
खुश्बू कहां वो अंबरो मुश्को गुलाब में
अनवारे मुस्तफ़ा की मिली कुछ उसे ज़कात
वर्ना ये रौशनी थी कहां आफ़ताब में
मुद्दत से हूं बस एक तमन्ना लिए हुए
एक बार फिर हुजूर को देखूं मैं ख़्वाब में
इक इश्के मुस्तफ़ा था जो जोश आ गया मुझे
वर्ना धरा ही क्या था जहाने ख़राब में
भेजी थीं कुछ दुरूद की आबिद ने डालियाँ
आईं हज़ार रहमतें उसके जवाब में

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल-बक़रह नं॰ 2)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ जैसा और लोग ईमान लाये हैं तो कहते हैं।

अर्थात् अपने दिलों में यह कहते थे या आपस में उन कमज़ोर विश्वास वाले मुसलमानों से कहते थे जो किसी कारण उनके भेदी बन गये थे।

क्या हम ईमान ले जायें जिस प्रकार ये मूर्ख लोग ईमान लाये हैं।

मुनाफ़िक़ लोग ऐसे सच्चे मुसलमानों को मूर्ख कहते थे जो अल्लाह के आदेशों पर इतने निछावर थे न किसी विरोध की परवाह करते थे और न किसी हानि से डरते थे। मुनाफ़िक़ों के विपरीत, जिन्होंने इनकारियों और मुसलमानों सब से अपना बाहरी मामला बना रखा था और स्वयं स्वार्थ के कारण आख़िरत की कुछ चिंता न करते थे। दुनिया और उसके लाभ उन पर इतने सवार थे कि ईमान और धार्मिक आदेशों की पाबंदी करने की आवश्यकता नहीं समझते थे केवल ज़बानी दावा और कुछ धार्मिक काम जबरन दिखावे के लिए कर लेने पर बस करते थे।

जान लो वही लोग मूर्ख हैं परंतु जानते नहीं।

अर्थात् वास्तव में मुनाफ़िक लोग ही मूर्ख हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया के अस्थायी लाभ के कारण आख़िरत का विचार नहीं किया। नष्ट होने वाली वस्तु को लेना और स्थिर रहने वाली को छोड़ना कितना मूर्खता है और दुनिया से डरना जिससे हज़ारों प्रकार से बचाव कर सकते हैं और परोक्ष की बातों को जानने वाले से न डरना जिसके सामने कोई बस नहीं चल सकता कितनी अज्ञानता है मगर मुनाफ़िक़ इतने मूर्ख हैं कि इतनी बात भी नहीं समझते।

और जब मुसलमानों से मिलते हैं तो वे मुनाफ़िक (जो मुंह से अपने को मुसलमान कहते हैं और हृदय से इंकारी है) लोग कहते हैं हम ईमान ले आये और जब अपने शैतानों के पास एकांत में होते हैं।

शैतानों (अर्थात् दुष्ट लोग) उनसे या तो वे इंकारी तात्पर्य हैं जो अपने इंकार को सब पर प्रत्यक्ष करते थे या वे मुनाफ़िक़ तात्पर्य है जो उनमें सरदार समझे जाते थे।

तो कहते हैं कि नि:संदेह हम तुम्हारे साथ हैं।

अर्थात् इनकार और दीन के विश्वास के मामले में हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं हम किसी दिशा में भी तुमसे अलग नहीं हो सकते।

हम तो केवल (मुसलमानों के साथ) हसीं करते हैं।

अर्थात् दिखावे का सहयोग जो हम मुसलमानों से करते हैं उससे यह न समझना चाहिए कि हम वास्तव में उनके साथ हैं हम तो उनसे ठट्ठा करते हैं और उनकी मूर्खता सब पर प्रकट करते हैं कि हमारी कथनी में अंतर होने पर भी वे अपनी मूर्खता से हमारी तथाकथित बातों पर विश्वास करते हुए हमकों मुसलमान समझकर हमारे माल और औलाद पर हाथ नहीं डालते और माले ग़नीमत में हमको साझी कर लेते हैं और अपनी औलाद से हमारा निकाह कर देते हैं और हम उनकी बातें उड़ा लाते हैं और वे इस पर भी हमारी धोखाबाज़ी नहीं समझते।

अल्लाह उनसे हंसी करता है।

चूंकि अल्लाह ने ईमानवालों से कह दिया है कि मुनाफ़िक़ों के साथ मुसलमानों जैसा व्यवहार करो और उनके जान और माल को बिल्कुल न छेड़ों। इससे मुनाफ़िक़ अपनी मूर्खता से समझ बैठे कि ईमान से जो लाभ मुसलमानों को हुआ वह सब लाभ हमको भी केवल तथाकथित रूप में इस्लाम प्रकट करने से प्राप्त हो गये। इस कारण बिल्कुल निश्चिन्त हो गये हैं। हालांकि यह मामला मुनाफ़िक़ों को घोर संकट में फंसाने वाला है। उसका परिणाम बहुत भयंका है, तो अब विचारपूर्वक देखिये कि ठट्ठा मुसलमानों का उड़ा या मुनाफ़िक़ों का और या उनके साथ ठट्ठे का अल्लाह की ओर से मतलब यह निकला कि अल्लाह उनको हंसी उड़ाने की सज़ा देगा।

और उनको अपनी अवज्ञाकारिता में उन्नति देता है (और) दशा यह है कि वे अक़्ल के अंधे हैं।

अर्थात् अल्लाह की ओर से उनको ढील दी गयी यहां तक कि उन्होंने विद्रोह में ख़ूब उन्नति की और ऐसे बहके कि उसका परिणाम कुछ न सोचा व और वे इस बात पर प्रसन्न हो गये कि हम मुसलमानों से हंसी करते हैं यद्यपि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी।

ये वही लोग हैं जिन्होंने भटकने को सीधे मार्ग के बदले मोल लिया है सो उनका व्यापार लाभदायक न हुआ।

व्यापार से तात्पर्य वही पथभ्रष्टता का हिदायत और सीधे मार्ग के बदले मोल लेना है जिसका पहले वर्णन हुआ है।

हिन्दू वोट निर्णायक लेकिन पूरे देश में नहीं

शेखर गुप्ता

नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा चुनावी अश्वमेध का घोड़ा बन गई है। उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों में उसकी जीत के बाद विश्लेषक बता रहे हैं कि भाजपा क्यों और कैसे चुनाव जीतती रही है। ऐसे में यह समझना ज़रूरी और दिलचस्प होगा कि वह कैसे और क्यों चुनाव हारती है।, हां, वह हारती भी है! 2018 में वह कांग्रेस पार्टी से देश के तीन प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी थी। उसी वर्ष कर्नाटक में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, मगर स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी। हम 2017 और 2022 के पंजाब की गिनती नहीं कर रहे, क्योंकि भाजपा वहां मज़बत नहीं है। 2019 के आम चुनाव में वह शानदार जीत के बाद वह पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से हारी और झारखंड में कांग्रेस-झामुमो-राजद ने उससे सत्ता छीन ली। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटें भारी वोटों से जीतने के बाद वह वहां विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत लाने से चूक गई और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद भी राज्य को गंवा बैठी क्योंकि उसकी बड़ी सहयोगी शिवसेना ने उसका साथ छोड़ दिया।

मोदी/शाह के दौर में भाजपा का खेल सीधा-सा है। 50 प्रतिशत हिन्दू वो जुटा लो और चुनाव जीत लो। उदाहरण के लिए, यूपी को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने इसे 80 बनाम 20 वोटों के बीच का चुनाव कहने की गलती भले की हो, लेकिन वे एक सच कह गए थे। यूपी में कुल मुस्लिम वोट 19 प्रतिशत से ऊपर है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा अगर मुस्लिम वोट की गिनती नहीं करती तो वह 80 प्रतिशत हिन्दू वोट को ही निशाना बनाती है। चुनाव नतीजे के मुताबिक भाजपा ने अगर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कुल 44 प्रतिशत वोट हासिल किए तो इससे साफ है कि उसने 55 प्रतिशत से ज़्यादा हिन्दू वोट जुटाए। यह भारी बहुमत लाने के लिए काफी है। बेशक हम यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा को अगर मुस्लिम वोट पड़े भी हों तो वे बहुत अहमियत नहीं रखते।

80 बनाम 20 का यह फार्मूला अलग-अलग जगहों में अलग अलग तरह से बदल जाता है लेकिन यह हिन्दी पट्टी और पश्चिम के तीन बड़े राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में ही लागू होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा और उसके सहयोगियों ने मिलकर 52 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। यहां भी मुस्लिम वोटों की गिनती न करें तो यह कुल हिन्दू वोटों के करीब 67 प्रतिशत के बराबर होगा यानि तीन में से दो हिन्दू वोट उसकी झोली में गए। यही वजह है कि कागज़ पर अजेय दिख रहे सपा/बसपा गठजोड़ का उसने सफाया कर दिया था। लेकिन जहां यह समीकरण नहीं होता, वहां क्या होता है? पश्चिमी बंगाल को ही ले लीजिए। यूपी को छोड़ दें तो भाजपा ने दूसरे राज्यों के

2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा और उसके सहयोगियों ने मिलकर 52 प्रतिशत वोट हासिल किए थे। यहां भी मुस्लिम वोटों की गिनती न करें तो यह कुल हिन्दू वोटों के करीब 67 प्रतिशत के बराबर होगा यानि तीन में से दो हिन्दू वोट उसकी झोली में गए। यही वजह है कि कागज़ पर अजेय दिख रहे सपा/बसपा गठजोड़ का उसने सफाया कर दिया था।

मुक़ाबले वहां सबसे ज़्यादा समय, ताक़त और संसाधन लगाए थे। नागरिकता कानून को लेकर शोर-शराबे ने ज़बरदस्त ध्रुवीकरण वाले चुनाव का माहौल तैयार कर दिया था। भाजपा एक और बड़े राज्य को पहली बार फतह करने की उम्मीद लगाए बैठी थी लेकिन इसका उल्टा हो गया। ममता बनर्जी की टीएमसी ने उसे शिकस्त दे दी।

भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे और क्यों हारी? उसने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती थी और वहां मज़बूत होती जा रही थी। वोटों की ही गिनती करें तो भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इतने ही यानि 40 प्रतिशत के आसपास वोट हासिल किए थे। फिर भी ये उसी अनुपात से विधान सभा सीटों में तब्दील नहीं हुए। तो दो वर्ष में क्या बदल गया? पहली बात तो यह हुई कि 2019 में सफाए के बाद कांग्रेस-वामदलों के गठबंधन ने अपने लगभग बाकी मतदाता गंवा दिए। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि यूपी के विपरीत पश्चिम बंगाल ने भाजपा को 80 बनाम 20 वाला समीकरण नहीं उपलब्ध कराया। वहां बहुत कुछ 71 बनाम 27 जैसा समीकरण था। केवल 50 प्रतिशत हिन्दू वोट उसे बहुमत के आंकड़े से पार नहीं ले जा सकते। कुल वोटों में से 38.13 प्रतिशत वोट लेकर उसने 50 प्रतिशत से ज़्यादा, बल्कि संभवत 53 प्रतिशत हिन्दू वोट हासिल किए। लेकिन 71 बनाम 27 वाले समीकरण में उसे करीब 65 फीसदी हिन्दू वोट की ज़रूरत पड़ती। यह नहीं हो पाया क्योंकि ममता बनर्जी ने महिला मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखा। वहां महिला शक्ति ने हिन्दू गोलबंदी को नाकाम कर दिया।

सो, यह पहला सबक़ है। अगर आप मोदी/शाह की भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको इतने हिन्दू वोट जीतने ही पड़ेंगे, जितने से भाजपा 50 प्रतिशत से ज़्यादा हिन्दू वोटों से वंचित हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि यूपी-बिहार-असम में होता है, तो आपका सफाया ही होगा। यही वजह है कि मुस्लिम-यादव समीकरण पर खड़ी अखिलेश और लालू यादव की पार्टियां अब नहीं जीत पा रही है। जब तक वे हिन्दुओं के अंदर के किसी ताक़तवर और बड़े जाति समूह को अपने पाले में लातीं, तब तक उनके लिए कोई गुंजाइशा नहीं दिखती। जब तक आप भाजपा से हिन्दू वोट छीनने की लड़ाई नहीं लड़ते, अब तक आपके लिए कोई मौक़ा नहीं है। जातीय समीकरण के बूते भी भाजपा को नहीं हराया जा सकता हैं। यह नाकाम कोशिश 2017 में यूपी में कांग्रेस-सपा और 2019 के आम चनावों में यूपी में सपा-बसपा, महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी और कर्नाटक में कांग्रेस-जेडी (एस॰) करके देख चुके हैं। ❑❑

तमिलनाडु : स्टालिन अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने खुद को अपने दिवंगत पिता व पांच बार मुख्यमंत्री रहे एम. करुणानिधि का योग्य उत्तराधिकारी साबित किया है। अपनी पार्टी के सत्ता में आने के पांच माह में ही स्टालिन ने विगत दिनों शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारी जीत के साथ अपना अधिकार स्थापित कर राज्य में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है।

परिणामों के बाद स्टालिन ने ज़ोर देकर कहा कि यह शानदार जीत 'प्रशासन के द्रविडियन मॉडल' के लिए एक सर्वोत्तम पल है। स्टालिन ने द्रविड़ियन मॉडल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'गुजरात मॉडल' का एक विकल्प बताया। कम चर्चा में रहने वाले स्टालिन के पास अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए कारण है, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव परिणामों ने दिखाया है कि डी.एम.के. की निगमों में सीट हिस्सेदारी 69.29 प्रतिशत है, यह नगर पालिकाओं में 61.41 प्रतिशत थी। डी.एम.के गठबंधन ने अन्नाद्रमुक का गढ़ मानी जाती 25 पट्टी सहित नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में 80 प्रतिशत से अधिक पद भी अपने खाते में कर लिए।

उन्होंने एक नई ज़मीन हासिल की है तथा अपनी पार्टी का आधार निकाय चुनावों में और बढ़ा लिया है। कांग्रेस, वामदलों, विदुथलाई, चिरुथाइगल काची (वी0सी0के0), तमिझागा वाझवुरीमाई काची तथा इंडिया जननायगा काची सहित डी.एम.के. के सहयोगियों ने भी द्रमुक मोर्चे की गणना की दो-तिहाई से अधिक बढ़ाने में मदद की। डी.एम.के. के 2011 में हुए गत स्थानीय निकाय चुनावों में सभी 10 मायोरल पद गंवा बैठी थी।

दिलचस्प बात यह है कि द्रमुक की लम्बे समय से प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक मुख्य रूप से सह- संयोजक, ई. प्लानीस्वामी तथा ओ. पनीरसेल्वम, दोनों ही अन्नाद्रमुक के पूर्व मुख्यमंत्री, के बीच सत्ता के लिए झगड़े के कारण हार गई। इस दुश्मनी के कारण कार्यकर्ता दुविधा में है।

दूसरे, शशिकला कारक भी एक कारण था। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 4 वर्ष की सज़ा पूरी होने पर गत फरवरी में जेल से बाहर आने के बाद से ही वह पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एकमात्र नेता के तौर पर उभरने के लिए दूसरों को रोक रही हैं क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्हें राजनीति से बाहर रखा गया लेकिन तब से ही वह राज्य के दौरे कर रही हैं। ई.पी.सी. तथा ओ.पी.एस. ने पार्टी पर उनके दावों को ख़ारिज किया।

अन्नाद्रमुक ने डी.एम.के. के पुथिया तमिलगम, मुक्कुलाथोर, पुलिपडाई, मणिथानेया जननायगा काची, न्यू जस्टिस पार्टी तथा ऑल इंडिया समथुआ मक्काल काची सहित अपने 6 गठबंधन दलों को भी खो दिया है। यहां तक कि भाजपा ने भी अन्नाद्रमुक को खुड्डे लाइन लगा दिया। इसके विपरीत स्टालिन सहयोगियों को खुश तथा अपने साथ बनाए रखते हैं यहां तक कि शहरी चुनाव परिणामों के बाद उनकी प्रशंसा भी की।

करुणानिधि ने अपने बड़े बेटे अझागिरी तथा बेटी कनिमोझी के दावों को दरकिनार करते हुए अपने राजनीति उत्तराधिकारी के तौर पर अपने छोटे बेटे स्टालिन को चुना। सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन के नाम पर रखे गए नाम वाले स्टालिन को पार्टी में उतारा गया और वह पृष्ठभूमि में रहने वाले एक मूल्यवान लड़के बन गए। अपने समर्थकों में बीच वह 'थलपति' (जरनैल) के तौर पर जाने जाते हैं।

स्टालिन ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है जैसे कि महासचिव, युवा इकाई प्रमुख, मंत्री तथा बाद में करुणानिधि मंत्रिमंडल में उप-मुख्यमंत्री के तौर पर। पहले वह चेन्नई नगर निगम के एक युवा मेयर थे।

राजनीति के अतिरिक्त स्टालिन का फिल्मी कैरियर भी रहा है। उन्होंने 1987 की तमिल फिल्म 'ओरे रथ्थम' (एक ही खून) में काम किया है जिसे उनके पिता एम. करुणानिधि ने लिखा था। 2017 में करुणानिधि के निधन के बाद वह अपने प्रसिद्ध पिता की छाया से बाहर उभरे और 2021

बाक़ी पेज 11 पर

ध्यानचंद की हॉकी चली गई

गुरबख़्श सिंह

आज़ादी से पहले हम चकवाल (अब पाकिस्तान में) जिले के मंगवाल गांव से आकर रावलपिंडी के आनंदपुर मुहल्ले में रहने लगे थे। मैं तब 10 वर्ष का था। पिताजी मुझे साइकिल पर आर्मी ग्राउंड ले जाकर हॉकी और फुटबॉल के मैच दिखाते थे जब से मैंने होश संभाला, हॉकी और फुटबॉल को अपने आसपास पाया। आज़ादी के पहले क्रिकेट कम ही लोग खेलते थे। वर्ष 1947 का मार्च महीना आते- आते मैं हॉकी, फुटबॉल, बैंडमिंटन खेलने लगा था।

मैं तब 12 वर्ष का था और छठी कक्षा में पढ़ता था। होली आने वाली थी, पिता जी की पोस्टिंग पटना के पास दानापुर हो गई थी। मेरा पूरा परिवार छुट्टियां बिताने रावलपिंडी से दानापुर चला गया। परिवार के किसी सदस्य ने नहीं सोचा था कि इसके बाद उन्हें कभी रावलपिंडी जाने का मौक़ा नहीं मिलेगा। उसी माह बंटवारे का पहला दंगा भड़क गया था।

वर्ष 1980 में मैं रावलपिंडी गया। आनंदपुर मुहल्ले का नाम दरियाबाद हो गया था। हमारे घर में भारत से आया मुस्लिम परिवार रहता था। उन्होंने मुझे चाय पिलाई। इसके बाद मैं 1983 की चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान 1999 में भी उस समय पाकिस्तान गय, जब कारगिल में लड़ाई चल रही थी। उस दौरान भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ पेशावर में खेल रही थी। टीम को यह नहीं मालूम था कि कारगिल युद्ध भी चल रहा है।

बंटवारे के बाद पिता लखनऊ आ गए। यहां उन्होंने आर्मी मेडिकल कोर की हॉकी और फुटबॉल टीम बनाई। मैं उस पीढ़ी से हूं, जिसने 1948 की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के हर सदस्य के साथ खेला, चाहे वह कप्तान किशन लाल हों या फिर चार ओलंपिक खेलने वाले लेसली क्लॉडियस। मैंने ध्यानचंद के साथ तो नहीं खेला, पर 1963 में जर्मनी गई मेरी टीम के कोच वही थे। कैप्टन के रूप सिंह को कोचिंग में भी मैंने खेला। मैंने उधम सिंह, बलबीर सिंह, केडी सिंह बाबू के साथ खेला। उसके बाद अपनी पीढ़ी के साथ खेला और फिर 70 के दशक में अजीत पाल और अशोक कुमार के साथ खेला। मैं 60 वर्ष की आयु तक खेलता रहा। कोलकाता फर्स्ट डिवीजन हॉकी में मैं 1996 तक खेलता रहा।

स्वतंत्र भारत में मैंने हॉकी की संस्कृति देखी। लोग शौक़ के लिए खेलते थे। उस दौरान कोई कोचिंग नहीं थी, कोई शिविर नहीं था, पैसा बिल्कुल नहीं था। आज खिलाड़ियों को ओलंपिक पदक पर करोड़ रुपये मिल रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि पैसा नहीं मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए, पर एक ज़माना वह भी था, जब 1964 का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्यों को ईनाम में फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। उस टीम के सदस्यों को टोक्यो में पुरस्कार राशि के रूप में महज़ 30-30 ब्रिटिश पाउंड मिले थे। भारत सरकार ने कुछ नहीं दिया। हमारे समय में जब अर्जुन पुरस्कार मिलता था, तो एक ब्लेजर, टाई तक नसीब होती थीं राष्ट्रपति से पुरस्कार लेकर वापस चले आते थे। सिर्फ रेलवे का थर्ड क्लास का टिकट दिल्ली आने के लिए मिलता था। होटल में रुकने तक का प्रबंध नहीं होता था। दिल्ली में मेरी ससुराल थी। मैं वहीं रुका था। आज इस पुरस्कार के साथ साढ़े सात लाख रुपये दिए जाते हैं।

आज खिलाड़ियों को ओलंपिक पदक पर करोड़ रुपये मिल रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि पैसा नहीं मिलना चाहिए। ज़रूर मिलना चाहिए, पर एक ज़माना वह भी था, जब 1964 का ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्यों को ईनाम में फूटी कौड़ी नहीं मिली थी।

50 से 70 के दशक तक देश का मुख्य खेल हॉकी हुआ करता था। तब हॉकी मैच में 40 से 50 हजार दर्शक आराम से पहुंच जाते थे। एथलिटिक्स भी काफी लोकप्रिय था। मिल्खा सिंह और मैंने 1960 के ओलंपिक की तैयारियां साथ की थीं। उस दौरान खेल शौक के लिए खेला जाता था।

मैदान भरे रहते थे, पर प्रोत्साहन की कोई बात नहीं थी। चयन हो गया, तो ठीक है, वर्ना कोई पूछने वाला नहीं था। हालात यह थे कि जब मैं भारतीय टीम में चयनित होने पर राष्ट्रीय शिविर में जाता था, तो दो से तीन माह का वेतन तक नहीं मिलता था। वेतन तब मिलता था, जब फाइल दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय जाती थी और राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राष्ट्रीय डयूटी पर होने के कारण वेतन जारी होता था। जो भी भारतीय टीम बाहर खेलने जाती थी, उसके साथ कोई डॉक्टर भी नहीं होता था। वर्ष 1964 के ओलंपिक में हरविंदर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तो उधर सिंह अपपने घर से बनाया हुआ तेल लेकर आए थे। उसे अरविंद को लगाना पड़ा। 64 का ओलंपिक खेलने गए, तो जूते तक नहीं मिले थे। खिलाड़ियों को अपनी जेब से जूते खरीदने पड़े। फेडरेशन से दो जर्सियां, नेरक और जुराबें दी गई थीं। हॉकी स्टिक भी खुद खरीदनी पड़ती थी। लेकिन देश के लिए खेलने का जज़्बा होता था। क्रिकेट को प्रमुखता तो 1983 का विश्व कप जीतने के बाद मिली। अब खेल जगत में काफी बदलाव आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण टेलिविजन पर खेलों का प्रसारण है। इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। साथ ही, मॉडर्न ट्रेनिंग कराई जाती है। डॉक्टर और अन्य सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ रहते हैं। हम अक्सर चीन और अन्य देशों से बराबरी की बात करते हैं, जो ग़लत है। चीन के खिलाड़ी बनाए जाते हैं लेकिन हमारे यहां पदक विजेताओं को पैसा दिया जाता है जितना पैसा पदक जीतने पर खिलाड़ियों को दिया जाता है, अगर उतना पैसा खिलाड़ियों को तैयार करने पर खर्च किया जाए, तो देश में खेल की तस्वीर बदल जाएगी। अन्यथा ओलंपिक में चीन, अमेरिका की तरह पदक नहीं जीता जा सकता। इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, निचले स्तर पर कोच लगाए जाएं, तब भला होगा।

रही बात हॉकी की, तो टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्ष बाद पदक मिला, जब हमने देश में बड़ी संख्या में एस्ट्रो टर्फ बनाए। जब से हॉकी में एस्ट्रो टर्फ आई, तब से देश में हॉकी में गिरावट आई। फिर नियम बदले गए। कलात्मक हॉकी की जगह शारीरिक हॉकी आ गई। जब यूरोपीय

बाक़ी पेज 11 पर

मामूली न समझें पेशाब की जलन को

पेशाब की जलन एवं रुकावट युवा एवं मध्य आयु की स्त्रियों एवं वृद्ध पुरुषों को परेशान करने वाली एक आम समस्या है। बचपन में इस बीमारी के शिकार होने वालों में 95वें प्रतिशत हिस्सा मूत्र मार्ग के छोटे होने के कारण पाया जाता है। यह अधिकांशत: लड़कियों में होता हैं। शेष पांच प्रतिशत उन लड़कों में यह पाया जाता है जिनमें या तो मूत्र मार्ग में या मूत्र थैली में पथरी होती है।

युवा एवं अधेड़ उम्र की स्त्रियों में इसकी पैंसठ प्रतिशत हिस्सेदारी होती हैं मुख्यत: इसका कारण सहवास के दौरान आयी चोट, प्रसव के बाद बच्चेदानी और मूत्र मार्ग पर पड़ने वाला दबाव एवं गर्भाशय के रोगों के लिए किये जाने वाले भौतिक उपायों से उत्पन्न विकार का होना होता है। वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध पैदा होकर पेशाब में जलन पैदा होने लगती है।

प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण अथवा मूत्र नलिका में विकार उत्पन्न होने के कारण या मूत्र मार्ग के बाहरी छिद्र के किसी बीमारी की वजह से छोटा हो जाने या बन्द हो जाने के कारण अथवा गर्भावस्था या प्रसूति के पश्चात् रीढ़ की हड्डी और नसों को क्षति पहुंचने के कारण भी मूत्र मार्ग में रुकावट हो जाती है तथा पेशाब में जलन होने लगती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, मधुमेह, यकृत (लिवर) की बीमारी, पौष्टिक वस्तुओं का अभाव, अति मैथुन आदि कारणों से भी पेशाब आदि में जलन हो सकती है।

मूत्र विकार का मुख्य कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण होना हैं यह संक्रमण कई रास्तों द्वारा मूत्र में पहुंचता है। मुख्य रूप से यह मूत्र मार्ग में मौजूद जीवाणुओं के मूत्र थैली में प्रवेश किये जाने के कारण होता है। जल में मौजूद जीवाणु मल त्याग के पश्चात् योनि मार्ग एवं उसे संक्रमित कर देते हैं। मूत्र मार्ग में नली प्रवेश करके जब मूत्र निकाला जाता है तो उसके साथ जी जीवाणु अंदर पहुंचकर मूत्र मार्ग को संक्रमित कर देते हैं। संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणु रक्त मार्ग से भी मूत्रथैली या मूत्र में फैलाकर उसे संक्रमित कर सकते हैं।

फोड़े द्वारा विसर्जित जीवाणु, फेफड़ों या गले के संक्रमण स्थल से निकले जीवाणु भी खून के माध्यम से मूत्र में प्रवेश करके मूत्र नली को संक्रमित कर डालते हैं। विवाह के तुरंत बाद कई स्त्रियों में मूत्र विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण सहवास से उत्पन्न चोट व योनि अथवा पुरुष के जनन अंगों में मौजूद संक्रमण होता है। इसे हनीमून सिस्टाईटिस कहा जाता है।

संभोग के अनेक आसन भी पेशाब में जलन पैदा करते हैं। उंगुलियों के माध्यम से स्त्रियों को उत्तेजित करने की प्रक्रिया भी योनि में संक्रमण उत्पन्न करके पेशाब में जलन उत्पन्न करती है। पेशाब में जलन होते ही पेशाब की जांच करा लेनी आवश्यक है। इससे मूत्र में उपस्थित जीवाणु, उनकी संख्या, प्रतिजैविक औषधियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, रक्त कोशिकाएं, पेशाब में मौजूद अम्ल का प्रमाण ज्ञात हो सकता है। अगर मूत्र परीक्षण से भी मूत्र में संक्रमण का कारण ज्ञात नहीं हो पाता तो एक्सरे (आय.बी.पी.) जांच द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। इसके तहत मूत्र मार्ग और मूत्र थैली की भीतरी जांच दूरबीन द्वारा करके रोग का निदान कर लिया जाता है, अत: पेशाब की जलन को मामूली समझकर इसके प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

शेष... मालदीव्स से चीन की विदाई तय...

यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता वाली बात होगी। क्वाड के विदेशमंत्रियों की बैठक में मालदीव्स के मुद्दे और यहां भारत विरोधी लोगों को कैसे सबक़ सिखाया जाए, इस पर बात हुई। साथ ही क्वाड के सहयोगी देश यानि आस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका भारत के साथ एक टीम बना कर चीन को मालदीव्स से बाहर का रास्ता दिखाएं इस बात पर चर्चा हुई।

हालांकि मालदीव्स में 'इंडिया आऊट' अभियान पिछले कई माह से चल रहा है और इस समय क्वाड देश क्यों एकजुट हुए, इसका सबसे बड़ कारण यह है कि मालदीव्स में अमरीका और आस्ट्रेलिया का कोई दूतावास और काउंसुलेट नहीं है। इस वजह से ये दोनों देश मालदीव्स में भारत पर ही निर्भर हैं, लेकिन अब अमरीका जल्दी ही राजधानी माले में अपना दूतावास खोलने की योजना बना रहा है। कुछ माह पूर्व माइक पॉम्पियो ने इस बात की घोषणा की थी।

भारत ने जब क्वाड की इस बैठक में मालदीव्स का मुद्दा उठाया तो बाकी देशों ने तय किया कि वे इस मुद्दे पर भारत की मदद करेंगे। इसके बाद आस्ट्रेलिया ने भी मालदीव्स की राजधानी माले में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। मालदीव्स से चीन को खदेड़ने की रणनीति पर क्वाड देश तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में कोई रोड़ा न आए, साथ ही चीन भारत को दक्षिणी हिस्से में समुद्र के रास्ते घेरने की कोशिश भी न करे। कुछ माह पहले ही श्रीलंका का साथ देते हुए भारत ने वहां चीन के बढ़ते कदमों को रोकने में सफलता पाई, जो भारत की बड़ी सफलता है। अब भारत के एक और दक्षिणी पड़ोसी देश मालदीव्स से चीन की विदाई क्वाड देशों के सहयोग से होने वाली है, जिससे भारत को हिन्द महासागर में घेरने का चीन का सपना बिखरता नज़र आ रहा है।❑❑

शेष.... दोष आपका और....

3 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा ही उच्च शिक्षा पर ख़र्च करते हैं। दुनिया के टॉप-200 शैक्षणिक संस्थानों में भारत का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं है। हमारी सरकार क्या इस बारे में कुछ सोच रही हैं? मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा कि भारत का आइटी क्षेत्र इस वक्त दुनिया में धूम मचा रहा है तो वह सरकार की बदौलत नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र का इसमें योगदान है। यदि मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया है तो वह लोगों के कारण आया है। सरकार माहौल ज़रूर बनाती है अभी एक और सवाल खड़ा हो गया है कि यूक्रेन से लौटने वाले करीब 18 हजार विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा?

मांग उठ रही है कि उन्हें भारत में दाख़िला दिया जाए लेकिन प्रश्न यह है कि सीटें हैं कहां? इंटर्नशिप के लिए ज़रूर आदेश हो गए हैं लेकिन जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उनका क्या? यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे, सस्ती दर पर जमीन दे, सीएसआर से जोड़े और भरपूर अनुदान दे। इसके साथ ही फीस पर अंकुश लगाए और दो से पांच वर्ष तक के अलग अलग मेडिकल कोर्स हों तो हमारे देश में चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। विद्यार्थी अपपने देश में ही पढ़ेंगे हमें डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ज़्यादा डॉक्टर होंगे तो, अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। फिर कोई डॉक्टर नहीं कहेगा कि वह गांव हनीं जाना चाहता। उसे गांव जाना ही होगा। तब गांवों में भी अस्पताल होंगे। इलाज की आधुनिक सुविधा गांवों तक भी पहुंचे, इस ओर सरकार को गंभीरता से प्राथमिकता देकर काम करना चाहिए। कुछ सोचिए सरकार!❑❑

शेष.... 'गणित' के सवालों में....

और कॉलेजों में हमेशा गणित के प्रोफेसर की मांग रहती है।

गणित प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा पास करनी होगी और आप पी.एच.डी. कर सकते हैं।

कितना पारिश्रमिक मिल सकता है

गणित का अध्ययन करने के बाद आप अपने चुने हुए कैरियर विकल्प के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि एक सी.ए. फ्रैशर का शुरुआती वेतन प्रति वर्ष लगभग 7 लाख रुपए है अनुभव के साथ वेतन बढ़ता जाता है। इसी तरह, साफ्टवेयर इंजीनियर का वेतन प्रति वर्ष लगभग 5 लाख रुपए है। इसी तरह यदि आप एक अच्छे संस्थान से जुड़े जाए तो आप तरक्क़ी की पायदान चढ़ सकते हैं।❑❑

शेष.... ध्यानचंद की हॉकी चली गई

लोग हॉकी को बदल रहे थे और भारत-पाकिस्तान के आधिपत्य को तोड़ रहे थे, तब एशियाई देशों की किसी ने नहीं सुनी। यूरोपीय देशों ने मिलकर हॉकी को अपने अनुरूप कर लिया। भारत और पाकिस्तान का विरोध काम नहीं आया। ध्यानचंद की हॉकी चली गई और हॉकी फुटबॉल बन गई। फिर जब एस्ट्रो टर्फ आ गई, तो अगले 20 सालों तक देश में टर्फ ही नहीं लगाए गए। बच्चों को देश में टर्फ पर हॉकी खेलने का मौक़ा ही नहीं मिला। उस दौरान हम पिछड़ गए। अब टर्फ लग रहे हैं, तो प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और नतीजे आ रहे हैं।❑❑

–वर्ष 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान।

सावधान! फिर लौटा कोरोना का खौफ, चीन में बिगड़े हालात

दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना वायरस का खौफ लौट आया है। चीन में कोरोना वायरस ने कहर बरपनाना शुरू कर दिया है। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया है। कोरोना के मामले यहां तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में 2020 के बाद से सबसे बुरी स्थिति बताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन के कई हिस्सों में मेडिकल संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले हफ़्तों में चीन की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 हफ़्तों में चीन में 14 हज़ार से ज़्यादा कोरोना मामले आए हैं। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन में लोगों को कोरोना जांच के लिए मारामारी करना पड़ रहा है। इस बीच चीन की सख्त 'ज़ीरो कोविड पॉलिसी' के तहत लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। चीन में कोरोना से सबसे प्रभावित जिलिन में अस्पतालों में क्वारंटीन करने के लिए जगह कम पड़ गई है। मरीज़ों को क्वारंटीन करने के लिए अस्थाई अस्पताल बनाए जा रहे हैं। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मौजूद मेडिकल सप्लाई सिर्फ 2 से 3 दिन की ही बची है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एपिडेमियोलोजी के प्रोफेसर चेन झेंगमिन के अनुसार, अगले दो हफ़्तों यह निर्धारित करने के लिए अहम हैं कि प्रतिबंध समेत उठाए जा रहे मौजूदा क़दम क्या कोविड संक्रमण रोकने के लिए काफी हैं। क्या पिछले साल की तरह इस बार भी इन कदमों के बाद शहर में कोरोना के मामले कम हो सकते हैं? दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 46.36 करोड़ हो गए हैं और इससे मरने वालों की संख्या 60.5 लाख हो गई है। वहीं इस महामारी के खिलाफ टीके की 10.73 अरब डोज दी गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने दी है। संक्रमण के मामले में दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत केबाद ब्राजील है।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

उसके हिन्दुत्व दृष्टिकोण के लिए खटक रहा है। जनसंघ का वजूद संघ के अहम वर्कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय के ज़रिए ही क़ायम हुआ और आर.एस.एस. ने उसकी हर तरह की सरपरस्ती की। जनसंघ के हर कार्यकर्ता के लिए संघ की वफादारी ज़रूर क़रार दे दी गयी थी, फिर 1977 में जनता पार्टी बनी, जिसमें आर.एस.एस. ने बड़े नाटकीय अंदाज़ में जनसंघ को शामिल करा दिया मगर जनसंघ के रास्ते से जनता पाटी में आने वाले नेताओं की वफादारी चूंकि आरएसएस के साथ थी इसलिए जैसे ही कुछ लोगों खासकर राज नारायण और श्री फर्नाडीज ने डबल उनकी विश्वसनीयता का प्रश्न उठाया, जन संघ से जुड़े लोगों ने जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बना ली जो पूरे देश के अधिकतर राज्यों में उसकी की सरकार और केन्द्र में भी उसकी की सरकार है।

संघ को किसी एक ही कोशिश से यह सत्ता कोई एक ही दिन में नहीं मिली, उसे इसके लिए पूरे 80 सालों तक इंतज़ार करना पड़ा और यह 80 साल भी उसने ऐसे ही नहीं बिताए बल्कि उस अवधि में उसने ध र्म के नाम पर हिन्दुत्व की वह अफीम तैयार की जिसके नारों में आज देश का बहुसंख्यक वर्ग का हर व्यक्ति मस्त दिख रहा है, यहां तक कि वह दलित भी आज उसी अफीम के नशे में गिरफ्तार हो चुके हैं। जो ऊंची जाति के हिन्दू की नज़र में इंसानियत से भी बाहर समझे जाते हैं।

हमारी समझ में यह संघी टोला की राजनैतिक मजबूरी है जो आज उसे दलितों के सामने झुकने पर मजबूर कर रही है वर्ना, सच्चाई यह है कि आज भी हिन्दुओं की बड़ी जातियों के लोगों के अधिकतर लोग अपने उसी मौकफ पर क़ायम है कि दलित पैर की जूती होते हैं, इस सूरतेहाल का एक अफसोसनाक पहलू यह भी है कि ख़ुद खैरे उम्मत और दाइएं इस्लाम के ख़ूबसूरत अलकाब से नवाज़ने वाले मुसलमान भी उन पिछड़े वर्ग और दलीलों के साथ नज़रयाति तौर पर न सही अमली तौर वही रवैया अपनाए हुए हैं जो उनके साथ सरासर अमानवीय और ग़ैर इस्लामी तर्ज़े अमल है।

यह कड़वी सच्चाई है कि दलित और मुसलमान दोनों ही शिक्षा, समाजी और आर्थिक तौर पर वंचित लोग हैं। आज़ादी के बाद से ही यह दोनों वर्ग वसायल पर काबिज़ तबक़ों की नज़रअंदाज़ी का शिकार है, यही वजह है कि केन्द्र में मोदी सरकार के आ जाने के बाद यह दोनों वर्ग अपने हितों को लेकर काफी फिक्रमंद हैं।

यह कोई ढंकी छिपी बात नहीं है कि वंचित वर्गों से दलितों और मुसलमानों में सबसे अधिक शिक्षा की कमी, ग़रीबी और बेरोज़गारी है और इसके लिए अधिकतर केन्द्रीय और राज्य सरकारें ज़िम्मेदारी हैं क्योंकि उन्होंने इनका इस्तेमाल केवल वोट बैंक के तौर पर ही किया। इसलिए अब समय आ गया है कि दलित और मुसलमान इस गठबंधन को मज़बूत करके अपनी ताक़त को समाजी बदलाव क लिए प्रयोग में लाएं। हमें उम्मीद है कि इस गठबंधन से एक नई समाजी ऊर्जा पैदा होगी जिससे बराबरी और शोषण से पाक समाज वजूद में आएगा और संविधान के मुताबिक समाज के आख़िरी पायदान पर खड़े आदमी को भी न्याय मिलेगा और उसके बाद किसी को भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि देश पर ऐसी ताक़त काबिज़ है, जो देश को हिन्दू राष्ट्र के रंग में रंगना चाहती है।❑❑

शेष.... स्टालिन अपने पिता के योग्य...

में अपनी पार्टी की विजय नेतृत्व किया। यद्यपि अपने पिता की तरह वह एक बहुत बढ़िया वाकपटु नहीं थे, उन्होंने इसकी भरपाई के लिए कड़ी मेहनत की तथा द्रमुक को आधुनिक समय के अनुकूल बदला।

स्टालिन, जो जनता के नेता नहीं हैं, की छवि बदलने में प्रोफेशनल्स इवेंटों ने मदद की। 2021 में उन्होंने उन्हें सलाह देने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले 80 लाख मतदाताओं के साथ तालमेल बनाने के लिए जींस, टी-शर्ट तथा स्त्रीकर्स के लिए अपनी धोती को तिलांजलि दे दी। स्टालिन के खेलों, कलाओं तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रेम हैं और वह क्रिकेट, बैडमिंटन तथा शतरंज खेलते हैं। उन्होंने सामान्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया (उंगलिल उरुवान अर्थात् आप में से ही एक)। वह साइकिल चलाते हैं, मोटरबाइक की सवारी करते हैं और यहां तक कि मतदाताओं के साथ लय मिलाने के लिए ऑटोरिक्शा में भी सवारी करते हैं।

गत वर्ष राज्य में विजय प्राप्त करने के बाद स्टालिन महत्वकांक्षी बन गए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए खुद को तैयार करने हेतु एक संघीय मोर्चा बनाने के लिए वह अपने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के समकक्षों के साथ जुड़े हैं। बदलती हुई राष्ट्रीय राजनीति में, जहां विपक्ष के पास एक विश्वसनीय नेता का अभाव है स्टालिन तमिलनाडू तथा दक्षिण में एक स्थापित नेता के तौर पर उभरे हैं। यद्यपि स्टालिन को अपने बेटे उदयनिधि को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

स्टालिन ने सभी सही क़दम उठाए हैं - सक्षम नौकरशाहों तथा सही व्यक्तियों को अपने मंत्रियों के तौर पर चुन कर। उन्होंने अपनी पहली चुनौती के तौर पर कोविड का बड़ी अच्छी तरह से प्रबंधन किया। तमिलनाडू ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लिंग समानता के मामले में अच्छी कारगुज़ारी दिखाई है और सामाजिक न्याय की बात करता है। स्टालिन को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त प्राप्त है क्योंकि अन्य पार्टियों में कोई करिश्माई नेता नहीं हैं। उनके ओडिशा के समकक्ष नवीन पटनायक की तरह स्टालिन राज्य तथा राष्ट्रीय राजनीति में टिके रहने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें सतर्क रहना चाहिए कि कोई बड़ी ग़लत न करें।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **13March2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•अपराधी का मानस•सराहनीय क़दम•ज़िम्मेदारी समझे केन्द्र

अपराधी का मानस

कहते हैं, कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता। कुछ परिस्थितियों के चलते अपराधी बन जाते हैं, कुछ सोहबत के चलते, तो कुछ मनोविकारों के चलते। मगर जब अपराधी की सज़ा तय होती है, तो साक्ष्यों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता के मद्देनज़र सज़ा का निर्धारण किया जाता है। जघन्य अपराधों में कठोरतम सज़ा के रूप में फांसी का प्रावधान है। इसलिए हमारे यहां सज़ा-ए-मौत के मामले भी बहुत आते हैं। फिर निचली अदालतों के उन फैसलों को उच्च और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाती है। अन्तिम रूप से राष्ट्रपति से जीवनदान

अपराध दरअसल, मानसिक विकृतियों, मानसिक उथल पुथल का ही नतीजा होता है। अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने के बाद अपराधी पश्चात्ताप करता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। मगर कई पेशेवर कहे जाने वाले अपराधियों का मानस कुछ जटिल होता है। हालांकि अपराधशास्त्र में अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन ही किया जाता है ।

पाने की गुहार लगाने का विकल्प भी है हालांकि हमारे यहां फांसी की सज़ा समाप्त करने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है, क्योंकि इस सज़ा के बाद व्यक्ति के सुधरने या अच्छा नागरिक बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में फांसी की सज़ा का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है। इन्हीं सब बिन्दुओं के मद्देनज़र अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मौत की सज़ा पाए व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी अवश्य किया जाए। इसके लिए चिकित्सा संस्थानों के सुयोग्य मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों की टीम गठित की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से मौत की सज़ा के मामलों में दंड तय करने और अपराध विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के उच्च न्यायालयों द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। किसी को मौत की सज़ा देना सभ्य समाज की निशानी नहीं माना जाता। यह बर्बर समाज की कार्रवाई मानी जाती है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी सज़ा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जघन्य अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन कर समझने का प्रयास किया जाता है कि आख़िर उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों के चलते ऐसा क़दम उठाया। मगर हमारे यहां ऐसे अध्ययन का अनिवार्य प्रावधान नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनिवार्य कर दिया है। अपराध दरअसल, मानसिक विकृतियों, मानसिक उथल पुथल का ही नतीजा होता है। अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने के बाद अपराध ी पश्चात्ताप करता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। मगर कई पेशेवर कहे जाने वाले अपराधियों का मानस कुछ जटिल होता है। हालांकि अपराध शास्त्र में अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन ही किया जाता है और हर परिस्थिति में बदलती आपराधिक प्रवृत्ति पर बारीक नज़र रखी जाती है। मगर न्याय प्रक्रिया में इन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ऐसे अपराधियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा, तो न सिर्फ उनके अपराधी बनने, उनकी आपराधिक मानसिकता के बारे में ठीक-ठीक पता लगने की संभावना बनेगी, बल्कि इस तरह के अपराधियों की चिकित्सा संबंधी नए सूत्र भी मिल सकेंगे। इससे मनोचिकित्सा विज्ञान को नए अध्ययनों का लाभ मिल सकेगा। फिर समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी नए ढंग से विचार करने के रास्ते खुलेंगे। अभी तक केवल दण्ड के भय से अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता रहा है, शायद अब अपराधी को सुधारने के रास्ते भी खुलें। स्कूली पाठयक्रमों में पाठयक्रम तय करते समय भी इन अध्ययनों से कुछ मदद मिल सकती है, ताकि विद्यार्थी जीवन से ही आपराधिक मानस बनने को रोका जा सके।

सराहनीय क़दम

दिल्ली सरकार ने शैक्षिक और सांस्कृतिक अदान-प्रदान के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ तीन वर्षीय समझौते का नवीनीकरण किया है। इसके साथ ही खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। समझौते के तहत दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्राओं की भागीदारी कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय के साथ यहां के विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में ज़रूरत के अनुसार बदलाव होंगे। सरकार का यह कदम सराहनीय है। इससे दिल्ली के स्कूलों व विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। साथ ही यहां के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार राजधानी में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कई क़दम उठा रही है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जगह की कमी दूर करने के लिए स्कूलों में नए कमरे बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्मार्ट कक्षाएं विकसित की जा रही हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार की कोशिश है कि यहां के स्कूलों में छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सके। कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में हरसंभव मदद की गई। सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्कूलों के परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर हुए हैं और छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। काफी संख्या में निजी स्कूलों के छात्र सरकारी स्कूलों में दाख़िल हुए हैं। खेल विश्वविद्यालय, शिक्षक विश्व विद्यालय व उद्यमिता विश्व विद्यालय से उच्च शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। सरकार को इन प्रयासों को जारी रखना चाहिए। विश्वविद्यालयों के कैंपस के विकास में तेज़ी की ज़रूरत है, जिससे कि छात्रों की परेशानी दूर हो सके।

ज़िम्मेदारी समझे केन्द्र

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसले को राज्य का मामला बताने की केन्द्र सरकार की कोशिश को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ठीक ही ख़ारिज कर दिया। केन्द्र सरकार ने इस मामले में अदालत को बताया था कि चूंकि यह राज्य का क़ानून है इसलिए केन्द्र सरकार इस पर कोई स्टैंड लेना ज़रूरी नहीं समझती। लिहाज़ा, इस मामले में वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। ध्यान रहे, हरियाणा स्टेट एम्प्लायमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 राज्य विधानसभा में पिछले साल 07 मार्च में पारित हुआ और राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद नवंबर में इसे श्रम विभाग द्वारा नोटिफाई भी कर दिया गया। इस कानून के मुताबिक, राज्य में निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाएटियों के तहत निकाली जाने वाली नौकरियों में 30,000 रुपये प्रति माह या उससे कम वेतन वाले सभी पदों पर 75 प्रतिशत स्थान उन प्रत्याशियों के लिए आरक्षित होंगे, जो हरियाणा के निवासी हैं। इसके तहत वे सारी कंपनियां आ जाती हैं, जिनमें दस या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं। विभिन्न उद्योग संगठनों ने यह कहते हुए इस कानून को चुनौती दी है कि इसके ज़रिए राज्य सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है, जो एम्पलॉयर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। अब तक इन क्षेत्रों में नौकरी कैंडिडेट्स की योग्यता और स्किल के आधार पर की जाती रही है। साफ है कि इस क़ानून का सीधा प्रभाव देशभर के उन पढ़े लिखे युवाओं की संभावनाओं पर भी पड़ेगा जो अपनी काबिलियत के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में जाने और काम करने की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि केन्द्र सरकार इस कानून को एक राज्य का मामला आख़िर कैसे क़रार दे सकती है। हालांकि इस तरह का क़ानून लाने के पीछे राज्य सरकार की यह वाजिब चिंता है कि वह अपने राज्य के युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। लेकिन यह तथ्य भी उतना ही स्पष्ट है कि देश के अन्य राज्यों की सरकारें भी ऐसी चुनौती से जूझ रही हैं। ऐसे में अगर राज्य ने ऐसे कानून में हल ढूंढने की

अब तक इन क्षेत्रों में नौकरी कैंडिडेट्स की योग्यता और स्किल के आधार पर की जाती रही है। साफ है कि इस क़ानून का सीधा प्रभाव देशभर के उन पढ़े लिखे युवाओं की संभावनाओं पर भी पड़ेगा जो अपनी काबिलियत के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में जाने और काम करने की आकांक्षा रखते हैं।

कोशिश की तो अन्य सरकारें भी उसका अनुसरण करने में नहीं हिचकेंगी, जिसका नतीजा अंतत: इस रूप में सामने आ सकता है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं का आकाश अपने-अपने राज्यों की सीमाओं में क़ैद होकर रह जाए। हैरत की बात है कि केन्द्र सरकार इतने महत्वपूर्ण मामले को एक राज्य सरकार के मत्थे मढ़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अच्छा है कि हाईकोर्ट ने पूरी सख़्ती दिखाते हुए इस नज़रिए को अस्वीकार्य बता दिया है। ❑❑

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173